रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

निविदा स.: आर ई सी/आई टी/93(एंपैनलमेंट)/2008-09/1

बोली दस्तावेज निम्न हेतु

प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर एफ पी)

आरईसीएल निगमित कार्यालय, नई दिल्ली एवं भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थित आंचलिक/प्रोजेक्ट कार्यालयों के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटरों, प्रिंटरों, लैपटॉप, यू पी एस तथा अन्य संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति, संस्थापन, कमीशनिंग तथा उनके रखरखाव की तीन वर्षीय ऑन-साइट विस्तृत वारंटी के लिए विक्रेताओं का नामिकायन (एंपैनलमेंट)

(1) बोली (बिड) प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 22/06/2009

समय: 1100 बजे (भारतीय समयानुसार)

(2) बोली (बिड) के खुलने की तिथि : 22/06/2009

समय: 1130 बजे (भारतीय समयानुसार)

बोली दस्तावेज का मूल्य : रूपये 2500/-

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LTD
भारत सरकार का उद्यम A Government of India Enterprise
Regd. Office Core-4 SCOPE Complex 7 Lodi Road New Delhi 110003T
24365161 & 41020101 Fax 24360644 Gram RECTRIC
E-mail reccorp@recl.nic.in Website: www.recindia.nic.in

निम्नलिखित ब्यौरा भरें

1. फर्म का नाम व पता: ....

....

....

2. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(कर्ताओं)का नाम:..

(क) महत्वपूर्ण सूचना:

1. अपूर्ण तथा/अथवा अस्पष्ट तथा/अथवा विलंब से प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जाएगा/उसे संक्षेपत: अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।
2. बोलीकर्ता, प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर एफ पी) की निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करने के रूप में मूल बोली दस्तावेज को मोहर सहित अनुप्रमाणित करे तथा उसे तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करे । इसका पालन न किए जाने की स्थिति में बोली पर विचार नहीं किया जाएगा/उसे संक्षेपत: अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।
3. बोलीकर्ता बोली दस्तावेज को आरईसीएल की वेबसाईट अर्थात् http://www.recindia.gov.in http://www.recindia.com से भी डाऊनलोड कर सकते हैं, यद्यपि बोली दस्तावेज के मूल्य रूपये 2500/- को, 'रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली' के पक्ष में तथा नई दिल्ली में देय किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में आहृत, डिमांड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक के रूप में अलग से ईएमडी के साथ जमा करना अपेक्षित है ।

विषय-सूची

क्रम संख्या	**अध्याय**	**विवरण**	**पृष्ठ संख्या**
1	अध्याय 1	परिचय	
2	अध्याय 2	कार्य का क्षेत्र	
3	अध्याय 3	बोलीकर्ताओं के लिए अनुर्देश	
4	अध्याय 4	संविदा की सामान्य निबंधन एवं शर्तें	
5	**संलग्नक**		
	क	तकनीकी बोली (बोली प्रपत्र**)**	
	ख	तकनीकी विनिर्देशन तथा निविदा विनिर्देशन और निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन पर वचनबद्धता	
	ग	वित्तीय बोली (बोली प्रपत्र**)**	
	घ	मूल्य अनुसूची	
	च	तकनीकी विनिर्देशन	
	छ	जमा बयाना राशि के लिए बैंक गारंटी	
		कुल पृष्ठ	

अध्याय 1

परिचय

1.1 बोलियों के लिए आमंत्रण

आरईसीएल निगमित कार्यालय, नई दिल्ली एवं भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थित आंचलिक/प्रोजेक्ट कार्यालयों के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटरों, प्रिंटरों, लैपटॉप, यू पी एस तथा अन्य संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति, संस्थापन, कमीशनिंग तथा उनके रखरखाव की तीन वर्षीय ऑन-साइट विस्तृत वारंटी के लिए विक्रेताओं का नामिकायन (एंपैनलमेंट) हेतु सीलबंद बोलियां दो भागें में, भाग-।: आवेदन राशि (यदि बोली इंटरनेट से डाउकनलोड की गई है), जमा बयाना (ईएमडी), 'पात्रता मानदंड' नामक दस्तावेज तथा तकनीकी बोली और भाग-।।: वित्तीय बोली, आमंत्रित की जाती हैं ।

1.2 **आरईसी का परिचय**

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसीएल), कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 25 जुलाई, 1969 को संस्थापित हुआ । 'एएए' श्रेणी के साथ आरईसीएल भारत सरकार का एक, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्‌यम है । आरईसीएल पूरे संगठन में ईआरपी को लागू करने के उन्नत स्तर पर है ।

1.3 कार्य के मुख्य अंगभूत निम्नवत हैं:

निम्न की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण, कमीशनिंग तथा उनके रखरखाव की तीन वर्षीय ऑन-साइट व्यापक वारंटी:

सारणी-।

क्रमांक	वस्तु	प्रारंभिक अनुमानित मात्रा
1	**डेस्कटॉप कंप्यूटर**	**26**
2	**एंट्री लेवल लेज़र प्रिंटर**	**18**
3	**स्कैनर**	**35**
4	**यूपीएस-लाईन अंत:‡GòªÉÉ**	**26**
5	**एमएफपी**	**2**
6	**माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007**	**1 मिडिया सहित 25 बिना मिडिया के**

1.4 टिप्पणी:

क. विद्‌यमान उत्पाद(उत्पादों) के लिए आरईसीएल की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु व्यवहारिक कार्य किया जाए, यदि ऐसे उत्पाद अध्याय-2 के विषय-क्षेत्र तथा संलग्नक 'च' में विनिर्दिष्ट तकनीकी अपेक्षाओं/विनिर्देशनों को पूर्ण करते हों ।

ख. बोलीकर्ता को उकपर दी गई सूची के अनुसार सभी वस्तुओं के लिए बोली प्रस्तुत करनी चाहिए, साथ ही किसी वस्तु (यदि कोई हो तो) के लिए विनिर्दिष्ट वैकल्पिक वस्तुओं की दर भी अनिवार्य रूप से बताई जाए ।

ग. तीन-वर्षीय ऑन-साईट वारंटी तथा रखरखाव सहित सभी वस्तुओं की भाव-दरों को उद्धृत न करने की स्थिति में बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

घ. अनुमानित मात्रा, जैसा कि ऊपर दर्शाई गई है, केवल प्रारंभिक मांग के लिए प्राक्कलित है, तथापि आरईसीएल को नामिकायन (एंपैनलमेंट) के दौरान अन्य आवश्यकताओं के प्रापण हेतु एंपैनलमेंट का उपयोग करने तथा/अथवा उसकी अवधि बढ़ाने, जैसा भी मामला हो, का पूर्ण अधिकार है ।

1.5 बोलीकर्ता के मुख्य उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) उपरोक्त सारणी-I के अनुसार विभिन्न उपकरणों तथा अंगभूतों की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण स्वीकृति तथा उनके रखरखाव की तीन-वर्षीय ऑन-साईट व्यापक वारंटी ।

ख) कमीशनिंग का पर्यवेक्षण तथा तीन-वर्षीय ऑन-साईट व्यापक वारंटी के अंतर्गत आपूर्ति किए गए उपकरणों का रखरखाव केवल प्रमाणित/अर्हक तथा प्रशिक्षित इंजीनियरों/कार्मिको द्वारा करना ।

टिप्पणी: उपरोक्त खंड **1.5** में विनिर्दिष्ट मुख्य उत्तरदायित्व केवल निर्देशात्मक मात्र हैं, किसी भी रूप में संर्वागीण नहीं हैं ।

1.6 **पात्रता मानदंड/पूर्व-योग्यता**

1.6.1 बोलीकर्ता आरईसीएल के लिए एकल प्वाइंट संपर्क होगा तथा मूल उपकरण निर्माता (ओ ई एम) इत्यादि से प्रस्तावित सभी वारंटियों, अपग्रेडों तथा गारंटियों आदि के लिए अकेला जिम्मेवार होगा । इस संबंध में एक वचनबद्धता संलग्न करें ।

1.6.2 बोलीकर्ता को डेस्कटॉप तथा लैपटॉप कंप्यूटरों के लिए निर्माता (ओ ई एम) अथवा चैनल पार्टनर/अधिकृत वितरक/डीलर तथा सेवा प्रदाता अथवा सिस्टम इंटीग्रेटर भी होना चाहिए । इस निविदा के लिए मूल उपकरण निर्माता (ओ ई एम) द्वारा जारी विशेषकर उप महाप्रबंधक (प्रौद्योगिकी), आरईसीएल को संबोधित ओ ई एम प्राधिकार पत्र (पत्रों) को संलग्न किया जाए, जिसमें निविदा संख्या, दिनांक तथा विधिमान्यता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए

1.6.3 बोलीकर्ताओं के पास कंप्यूटर सिस्टमों/उपकरणों की आपूर्ति, संस्थापन, कमीशनिंग तथा उनके रखरखाव से संबंधित न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए । बोलीकर्ता कम से कम 1

प्रोजेक्ट का ब्यौरा दें जो उनके द्‌वारा सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया हो, जिसमें पिछले दो वर्षों क दौरान रूपये **20** लाख (मात्र बीस लाख रूपये) की न्यूनतम राशि के लिए डेस्कटॉप, लैपटॉप/नोटबुकों इत्यादि की आपूर्ति, संस्थापन, कमीशनिंग तथा उनके रखरखाव की वारंटी शामिल हो। दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें ।

1.6.4 पिछले तीन वर्षों के दौरान कंप्यूटर सिस्टमों तथा/अथवा कुल सिस्टमों/आईटी समाधानों की बिक्री से बोलीकर्ता की वार्षिक कुल बिक्री न्यूनतम रूपये **50** लाख (मात्र पचास लाख रूपये) औसतन होनी चाहिए । तथापि, बोलीकर्ता के डेस्कटॉप तथा लैपटॉप के अधिकृत वितरक/डीलर होने की स्थिति में, इन संबंधित वस्तुओं के लिए मूल उपकरण निर्माता (ओ ई एम) की कुल वार्षिक बिक्री के अलावा, पिछले तीन वर्षों के लिए टर्नओवर न्यूनतम **100** करोड प्रत्येक वर्ष होना चाहिए । वार्षिक कुल बिक्री के संबंध में पुष्टि के लिए दस्तावेजी साक्ष्य (लेखा परीक्षित तुलन-पत्र) संलग्न करें । बोलीकर्ता के मूल उपकरण निर्माता न होने की स्थिति में बोलीकर्ता तथा मूल उपकरण निर्माता हेतु पृथक रूप से दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किए जाएं, जिसके न होने की स्थिति में बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा । टर्नओवर से तात्पर्य किसी एक कंपनी की वार्षिक कुल बिक्री से है न कि गौण/संघिनी संस्थाओं इत्यादि का समेकित टर्नओवर ।

1.6.5 बोली दस्तावेज डाऊनलोड करने की स्थिति में, बोली दस्तावेज के मूल्य रूपये **2500/-** को, 'रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली' के पक्ष में तथा नई दिल्ली में देय किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में आहृत, डिमांड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक के रूप में अलग से ईएमडी के साथ जमा करना अपेक्षित है ।

1.6.6 बोली के साथ रूपये **25,000/-** (मात्र पच्चीस हजार रूपये) जमा बयाना राशि का डिमांड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक, जो नई दिल्ली में देय 'रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड' के पक्ष में तथा किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में आहृत हो, संलग्न किया जाए । जमा बयाना राशि के रूप में चैक, मनी आर्डर तथा नकद राशि स्वीकार नहीं की जाएगी । बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे जमा बयाना राशि के ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक के पीछे निविदा संख्या, अपना नाम व पता इंगित कर दें अन्यथा संबंधित जोखिम बोलीकर्ता का होगा ।

1.6.7 बोलीकर्ता को बिक्री कर/वैट, सेवा कर पंजीकरण संख्या तथा आयकर पंजीकरण संख्या (पी ए एन) के ब्यौरे का वैध दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा ।

1.6.8 बोलीकर्ता को ऊपर खंड **1.3** की सारणी-I के अनुसार सूचीबद्ध सभी वस्तुओं के लिए बोली प्रस्तुत करनी होगी । इस संबंध में एक वचनबद्धता संलग्न करें ।

1.6.9 बोलीकर्ता को उपरोक्त पात्रता/पूर्व-योग्यता मानदंड के सभी तथा प्रत्येक खंडों तथा/अथवा उप खंडों/सन्निहित ख्डों के दस्तावेजी साक्ष्य तथा उपरोक्त खंड संख्या **1.6.1** के लिए प्रत्येक की अलग वचनबद्धता संलग्न करनी होगी अन्यथा बोली संक्षेपत: अस्वीकृत कर दी जाएगी ।

1.6.10 बोलीकर्ता ध्यान दें कि संलग्न किया जाने वाला वैध दस्तावेजी साक्ष्य केवल बोलीकर्ता से संबंधित तथा उसके उपयोज्य हो न कि उसकी संघिनी संस्था/गौण कंपनी तथा/अथवा पैतृक कंपनी इत्यादि से संबंधित हो, ऐसा न होने पर बोली सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी ।

1.6.11 बोलीकर्ता को उनकी तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन करने के लिए उपरोक्त पात्रता मानदंड/पूर्व-योग्यता शर्तों को पूर्ण करना होगा । उपरोक्त पात्रता/पूर्व-योग्यता शर्तों को पूर्ण कर रहे बोलीकर्ताओं की तकनीकी बोली को केवल विधिवत गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति (टी ई सी) द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा । ऊपर दी गई पात्रता/पूर्व-योग्यता शर्तों को पूर्ण न करने वाले बोलीकर्ताओं की तकनीकी बोली को संक्षेपत: अस्वीकृत कर दिया जाएगा । उपरोक्त दस्तावेजों को बाद में प्रस्तुत करने की वचनबद्धता को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

1.6.12 आरईसीएल को पात्रता मानदंड के उपर्युक्त खंडों के समर्थन में बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत सभी मूल दस्तावेजी साक्ष्य की जांच/पुष्टि करने का अधिकार है, तथा अपेक्षित अवधि के अंतर्गत उक्त को प्रस्तुत करने में चूक जाने तथा आरईसीएल द्वारा लिखित में अधिसूचित करने पर बोली सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी तथा/अथवा आरसीईएल द्वारा बोलीकर्ता पर संविदा के खंडों के अधिरोपण करने के साथ, संविदा समाप्त हो जाएगी तथा/अथवा सफल बोलीकर्ता के फलस्वरूप संविदा अवधि विस्तारित अथवा अन्यत्र प्रदान की गई है तथा बोलीकर्ता को ठेका इस निविदा में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार दिया गया है ।

1.7 पात्रता मानदंड दस्तावेज, तकनीकी बोली, जमा बयाना राशि (बोली दस्तावेज की लागत सहित, यदि लागू हो तो) तथा वित्तीय बोली को अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में भेजना चाहिए । सीलबंद लिफाफों के शीर्ष पर, उसकी अंतर्वस्तु, निविदा संख्या, बोलीकर्ता का नाम व पता स्पष्ट रूप से इंगित किया जाए । इस प्रकार तैयार किए गए सभी लिफाफों को एक सीलबंद लिफाफे में डाला जाए जिसके शीर्ष पर निविदा संख्या, बोलीकर्ता का नाम व पता स्पष्ट रूप से लिखा जाए ।

1.8 उप महाप्रबंधक (प्रौद्योगिकी), आरईसीएल को संबोधित सभी प्रकार से पूर्ण बोली प्रस्तावों को **31 अक्तूबर 2008 को 1100 बजे (भारतीय समयानुसार) तक निम्नलिखित पते पर आरईसीएल के स्वागत कक्ष में रखे गए निविदा बॉक्स में डाल देना चाहिए । बोली (बिड) को अन्यत्र जमा कराने तथा प्रेषिती को उचित समय व तारीख पर न प्राप्त होने पर, आरईसीएल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।**

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

कोर-4, स्कोप कांपलेक्स,
7 लोदी रोड़,
नई दिल्ली-110003

1.9 उपरोक्त **खडां 1.1 में विनिर्दिष्ट 'भाग 1' को, आरईसीएल के निगमित कार्यालय, कोर-4, स्कोप कांपलेक्स, 7 लोदी रोड़, नई दिल्ली-110003 में उसी दिन (बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को) 1130 बजे (भारतीय समयानुसार) बोलीकर्ताओं द्वारा चुने गये प्रतिनिधि की उपस्थिति में, खोला जाएगा।**

1.10 आरईसीएल को बिना कोई कारण बताए अपने विवेकानुसार किसी अनियमितता को त्यागने, किसी अथवा सभी बोलियों को पूर्णतया स्वीकृत अथवा अस्वीकृत; आंशिक रूप से स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।

अध्याय 2

कार्य का क्षेत्र

2.1 कार्य-क्षेत्र

हार्डवेयर/उपकरण की आपूर्ति, परीक्षण, संस्थापन, कमीशनिंग तथा उनके रखरखाव सहायता की तीन वर्षीय ऑन-साईट व्यापक वारंटी का कार्य-क्षेत्र विस्तृत रूप से निम्नवत है **(विस्तृत तकनीकी विनिर्देशनों को संलग्नक-च में दिया गया है):**

सारणी-।।

क्र. सं0	**कार्य-क्षेत्र - विवरण**
1.0	संलग्नक-च में दिए गए विस्तृत तकनीकी विनिर्देशन के अनुसार डेस्कटॉप कंप्यूटरों, लैपटाप/नोटबुक, नेटवर्क प्रिंटरों, बहु प्रकार्य प्रिंटरों, यू पी एस तथा अन्य संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति, परीक्षण, संस्थापन, कमीशन तथा उनके रखरखाव की तीन-वर्षीय ऑन-साईट व्यापक वारंटी ।
2.0	सभी उपकरणों की आपूर्ति तथा सभाल, श्रम, अतिरिक्त पुर्जे तथा ऑपरेटिंग सिस्टम सहित तीन वर्ष की अवधि की ऑन-साईट व्यापक वारंटी/गारंटी युक्त होनी चाहिए ।
3.0	चयनित बोलीकर्ता से, नई दिल्ली तथा भारत में स्थित आरईसीएल के कार्यालयों में डेस्कटॉप कंप्यूटरों, लैपटाप/नोटबुकों, नेटवर्क प्रिंटरों, एम एफ सी एवं यू पी एस सहित उपकरणों की आपूर्ति तथा संस्थापन संबंधी आवश्यक ऑन-साईट सेवाएं उपलब्ध कराना अपेक्षित है ।
4.0	संस्थापन, आपूर्ति, संस्थापन एवं संरूपण के अलावा, चयनित बोलीकर्ता को रखरखाव की ऑन-साईट वारंटी अवधि सहित आरईसीएल की आवश्यकतानुसार निम्नलिखित कार्य करने होंगे: • यदि अपेक्षित हो, प्रयोक्ता के डेटा/फाइलों को विद्यमान पी सी से नये पी सी में स्थानांतरित करना । • आरईसी की आवश्यकतानुसार नेटवर्क अभिगत (ऍक्सेस), ई-मेल खाता, इंटरनेट अभिगत इत्यादि का संरूपण । • पैच के अद्यतन इत्यादि सहित आपूर्तित ऑपरेटिंग सिस्टम तथा संबंधित सॉफ्टवेयर की सहायता । उपकरणों/उत्पादों के आरईसीएल के अन्य कार्यालयों में स्थानांतरित होने की स्थिति में, बोलीकर्ता को उनकों पुन: संरूपण व पुन:संस्थापन इत्यादि करना होगा । तथापि, यह नोट किया जाए कि ऐसे स्थान परिवर्तन के लिए अन्य संभारिकी सहायता आर ई सी एल करेगा ।
5.0	**कम से कम एक कुशल रेजिडेंट इंजीनियर/प्रचालन स्टाफ को, प्राधिकार पत्र/पहचान पत्र के साथ अंतिम पी सी संस्थापित करने की तारीख से वारंटी अवधि के दौरान सोमवार से**

	शुक्रवार (शनिवार, रविवार तथा आर ई सी के अवकाशों को छोड़कर) प्रात: 9.30 बजे शाम 6.00 बजे तक, नई दिल्ली में स्थित आरईसीएल के निगमित कार्यालय में उपस्थित रहना होगा । तथापि, आवश्यकता पड़ने पर रेजिडेंट इंजीनियर/स्टाफ को कार्यालय समय के उपरांत तथा शनिवार, रविवार तथा छुट्टी के दिनें में भी कार्य करना होगा । ऐसी सेवाओं के लिए आर ई सी द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा तथा बोलीकर्ता द्वारा उद्धृत किए गए मूल्यों को ऐसे खर्चों/लागतों के साथ समझा जाएगा । उक्त कार्य के लिए तैनात इंजीनियर निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी होंगे: • **डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम तथा एंटी-वायरस, इंटरनेट, ई-मेल क्लांइटों इत्यादि सहित कार्यालय स्वचलन (ऑफिस ऑटोमेशन) सॉफ्टवेयर में सहायता करना ।** • **प्रयोक्ताओं की मुद्रण संबंधी समस्याओं का समाधान करना ।** **स्टाफ के छुट्टी जाने/नौकरी छोड़ने/पुनर्समनुदेशन करने पर बोलीकर्ता को तुंत वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी ।**

टिप्पणी:

क. **बोलीकर्ता को आपूर्तित सिस्टमों/सब-सिस्टमों के लिए 6 वर्षों की अवधि तक (3 वर्ष की वारंटी अवधि सहित) सहायता उपलब्ध कराने का वचन देना होगा । वारंटी रखरखाव के उपरांत,यदि आरईसीएल विक्रेता के साथ रखरखाव करने का निर्णय लेता है तो विक्रेता को सुनिश्चित करना होगा कि वह अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति आरईसीएल को करेगा । किसी वस्तु/पुर्जे के किसी कारणवश उपलब्ध न होने की स्थिति में बोलीकर्ता को आरईसीएल की अनुमति से मूल वस्तु/स्पेयर पार्ट के स्थान पर समकक्ष/अथवा नवीनतम वस्तु/स्पेयर पार्ट उपलब्ध कराना होगा ।**

ख. सॉफ्टवेयर इत्यादि के लिए किसी मीडिया तथा आरईसीएल के विवेकानुसार अन्य कोई तकनीकी सहायता को, आरईसीएल द्वारा सफल एंपैनल्ड बोलीकर्ता के संस्थापन इंजीनियरों को उपलब्ध कराया जाएगा ।

2.2 निर्देशात्मक अनुसूचियां

बोलीकर्ता का नीचे दी गई निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार जुड़े रहना अपेक्षित है ।

<u>सारणी-।।। : मुख्य गतिविधियां</u>

क्रमांक	माइलस्टोन	वितरणीय (वृद्धिशील सप्ताह)
1.	क्रय आदेश का देना	टी 1
2.	उपकरणों/उत्पादों की सुपुर्दगी	टी 1+4

3.	उपकरणों/उत्पादों का संस्थापन, कमीशनिंग	टी 2 = (टी1+6)
4.	सिस्टम की रखरखाव वारंटी	टी 2+156

2.3 उपकरणों/सिस्टमों का विस्तृत तकनीकी विनिर्देशनों को संलग्नक-च में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

अध्याय 3

बोलीकर्ताओं के लिए अनुदेश

3.1 बोली की लागत

बोलीकर्ता, बोली को तैयार करने तथा उसे प्रस्तुत करने संबंधी सभी खर्चों को वहन करेगा तथा आरईसीएल, बोली प्रक्रिया को संचालित करने अथवा उसके परिणाम पर ध्यान दिए बिना, किसी भी स्थिति में इन खर्चों के लिए उत्तरदायी अथवा जिम्मेवार नहीं होगा ।

3.2 निविदा दस्तावेज

बोलीकर्ता से अपेक्षा की जाती है तथा यह समझा जाता है कि वह बोली लगाने के दौरान निविदा दस्तावेज के सभी अनुदेशों, प्रपत्रों, शर्तों तथा विनिर्देशनों इत्यादि को ध्यान से पढ़ व जांच ले, उनका अनुपालन करे व उनसे सम्मत हो । अपेक्षित सभी सूचनाओं को न देने तथा/अथवा झूठी/गलत सूचना तथा/अथवा संदिग्ध/असंगत सूचना तथा/अथवा बोली के लिए अनुकूल महत्वपूर्ण प्रभावनीय दस्तावेज के बिना बोली को प्रस्तुत करना बोलीकर्ता का अपना जोखिम होगा तथा परिणामत: उसकी बोली अस्वीकृत हो जाएगी ।

3.3 बोलियों की तैयारी

3.3.1 बोलियों को दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत किया जाए ।

क. भाग-I: पहले लिफाफे में अलग से तीन सीलबंद लिफाफे होने चाहिए:

i ईएमडी (बोली दस्तावेज की लागत सहित, यदि लागू हो तो) को अलग से सीलबंद किया जाए तथा लिफाफे पर शब्द 'ई एम डी' लिखा जाए/अंकित किया जाए ।

ii पात्रता/पूर्व-योग्यता मानदंड दस्तावेज को अलग से सीलबंद किया जाए तथा लिफाफे पर 'पात्रता/पूर्व-योग्यता मानदंड' शब्दों को लिखा /अंकित किया जाए ।

ख. भाग-II: दूसरे लिफाफे में निम्नलिखित समाविष्ट हो:

i **वित्तीय बोली को अलग से सीलबंद किया जाए तथा लिफाफे** पर शब्द 'वित्तीय बोली' लिखा जाए/अंकित किया जाए ।

3.3.2 सीलबंद लिफाफों पर लिफाफे की अंतर्वस्तु, निविदा संख्या, बोलीकर्ता का नाम तथा पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए ।

3.3.3 प्रस्तुत की जा रही बोली के सभी पृष्ठों पर, फॉर्मेट की अंतर्वस्तु की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना: 'चालू पृष्ठ सं0/पृष्ठों की कुल संख्या', बोलीकर्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा (सभी शर्तों एवं निबंधन की स्वीकृति को इंगित करते हुए) हस्ताक्षर किए जाएं तथा क्रमागत संख्या अंकित की जाए। हस्ताक्षर एवं मोहर के बिना बोली को संक्षेपत: अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

3.3.4 बोली को उपयुक्त रूप अनुक्रमणिका युक्त तथा एक जिल्द में उचित रूप से बंधा होना चाहिए, उसमें पेपर खुल हुए न हों, ऐसा न होने की स्थिति में बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

3.3.5 जमा बयाना राशि (ईएमडी), पात्रता मानदंड दस्तावेज, तकनीकी बोली तथा वित्तीय बोली को अंतर्विष्ट करने वाले बाहरी लिफाफे पर बोली संख्या तथा दिनांक का उल्लेख करते हुए उप महाप्रबंधक (प्रौद्योगिकी), आर ई सी एल, कोर-4, स्कोप कांपलेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली-110003 को संबोधित किया जाए ।

3.3.6 सभी बाहरी तथा भीतरी लिफाफों पर बोलीकर्ता का नाम व पता इंगित किया जाए, ताकि बोली में देर अथवा विलंब होने की स्थिति में उसे बिना खोले लौटाया जा सके ।

3.3.7 टेलेक्स, तार, ई-मेल, अनुलिपि अथवा बिना सीलबंद इत्यादि के बोलियों को पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

3.4 जमा बयाना राशि (ई एम डी)

क. बोली के साथ बैंक गारंटी (फॉर्मेट संलग्नक-छ में दिया गया है)/डिमांड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक, जो नई दिल्ली में देय 'रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड' के पक्ष में देय किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में आहृत हो, के रूप में रूपये **25,000/-** (मात्र पच्चीस हजार रूपये) की जमा बयाना राशि संलग्न होनी चाहिए । जमा बयाना राशि के रूप में चैकों, मनी आर्डरों तथा नकद धनराशि इत्यादि को स्वीकार नहीं किया जाएगा । बोलीकर्ता से अनुरोध है कि वह जमा बयाना राशि के ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक के पीछे निविदा संख्या, तथा बोलीकर्ता का नाम व पता लिखना सुनिश्चित कर लें अन्यथा संबंधित जोखिम बोलीकर्ता का होगा । वैध जमा बयाना राशि के बिना बोली को एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

ख. सफल बोलीकर्ता के साथ संविदा पर हस्ताक्षर होने के उपरंत, असफल बोलीकर्ताओं की जमा बयाना राशि वापस कर दी जाएगी । सफल बोलीकर्ता की जमा बयाना राशि को, वैध निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त होने पर, वापस कर दिया जाएगा ।

ग. जमा बयाना राशि पर आर ई सी कोई ब्याज नहीं देगा ।

घ. यदि कोई बोलीकर्ता बोली वैधता अवधि, बोलीकर्ता द्वारा बोली में विनिर्दिष्ट, के दौरान अपनी बोली वापस लेता है तथा/अथवा बोली में झूठे दस्तावेज/वचनबद्धता प्रस्तुत करता है तो जमा बयाना राशि (ई एम डी) जब्त कर ली जाएगी ।

3.5 **पात्रता/पूर्व-योग्यता मानदंड दस्तावेज**

अध्याय 1 के खंड 1.6 के अनुसार पात्रता मानदंड दस्तावेजों को बोली के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए । इन दस्तावेजों के बिना बोली को एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

3.6 **तकनीकी बोली**

बोलीकर्ता द्वारा तैयार की गई तकनीकी बोली में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :

क. उत्पाद मूल्यांकन किट, तकनीकी सूचना, सफेद कागज इत्यादि ।

ख. महत्वपूर्ण संस्थापन साइटों की सूची ।

ग. तकनीकी बोली प्रपत्र - संलग्नक 'क' ।

घ. बोलीकर्ता द्वारा संलग्नक-ख के अनुसार वचनबद्धता प्रस्तुत की जाए ।

च. संलग्नक-च में निहित विनिर्देशनों के अनुसार उपकरण तथा/अथवा उत्पाद अनुकूलता पत्रक प्रस्तुत किया जाए

टिप्पणी:

क. बोलीकर्ता को अपेक्षित दस्तावेजों को, स्व/कंपनी द्वारा साक्ष्यांकित करने के उपरांत प्रस्तुत करना चाहिए ।

ख. सभी सिस्टमों, उप-सिस्टमों तथा वैकल्पिक वस्तुओं के निर्माण एवं प्रतिमान का उल्लेख तकनीकी बोली में किया जाए तथा पूर्ण तकनीकी ब्यौरे को, विवरणिकाओं तथा आलेखों के रूप में उपलब्ध कराया जाए ।

3.7 वित्तीय बोली:

क. वित्तीय बोली में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :

I. वित्तीय बोली प्रपत्र: संलग्नक-ग

II. मूल्य अनुसूची: संलग्नक-घ

ख. वित्तीय बोली में उपकरण/सिस्टम/उत्पाद तथा/अथवा सेवाओं के लिए यूनिट मूल्यों को इंगित किया जाए, इसे संविदा के तहत उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित किया जाए ।

ग. उद्धृत मूल्य स्थायी होने चाहिए तथा उसमें, अंतरापृष्ठ केबल, पावर केबल, संबंधित अनुषंगियां, सिस्टम के उप संयोजन तथा सिस्टम के संचालन मैनुअलों का दस्तावेजीकरण, भाड़ा, पैकिंग, अग्रेषण, संचालन, माल लादना व उतारना, बीमा, लागू अन्य शुल्क तथा संस्थापन, कमीशनिंग,

रखरखाव की ऑन-साईट व्यापक वारंटी (तीन वर्षीय), कमीशनिंग, आरईसी के निगमित कार्यालय में सहायतार्थ एक रेजिडेंट कर्मी, प्रशिक्षण इत्यादि, सभी उपकरणों/सिस्टमों/उत्पादों तथा सेवाओं के लिए शुल्क तथा विक्रेता द्वारा संविदागत बाध्यताओं के निष्पादन के संबंध में विक्रेता के कार्मिकों के दौरों से संबंधित अन्य खर्चों की लागत शामिल की जाएं ।

घ. उद्धृत की गई मूल्य अनुसूची में कर घटकों को अलग से इंगित किया जाना चाहिए - संलग्नक 'घ' । चुंगी, सड़क कर इत्यादि का भुगतान केवल संबंधित समर्थित दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा ।

च. बोलीकर्ता को मूल्य अनुसूची (संलग्नक-घ) में प्रत्येक वस्तु के लिए भाव दर बतानी होगी । बोलीकर्ता, जहां लागू हो, पूरी लागत को भी इंगित करे । प्रस्ताव जिनमें मदवार दरें इंगित नहीं की गई हैं, जहां लागू हो, अयोग्यता के लिए उत्तरदायी है ।

छ. बोलीकर्ता यह नोट कर ले कि आरईसीएल फार्म 'डी'/फार्म 'सी' इत्यादि उपलब्ध नहीं कराएगा ।

ज. बोलीकर्ता द्वारा उद्धृत किए गए मूल्य, संविदा में बोलीकर्ता के कार्य निष्पादन के दौरान स्थायी रहेंगे तथा उनमें किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं होगा । किसी शर्तबंध मूल्य के साथ प्रस्तुत की गई बोली को गैर-प्रभावनीय के रूप में विचारा जाएगा तथा बोली को संक्षेपतः अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

झ. सभी मूल्यों तथा अन्य सूचना जैसे अंकित मूल्य पर छूट इत्यादि को निर्धारित प्रस्ताव प्रपत्र में अंकों तथा शब्दों, दोनों में, लिखा जाएगा ।

ट. यदि शब्दों तथा अंकों में उद्धृत मूल्य/सूचना के बीच में कोई विसंगति पायी जाती है तो दोनों में से उच्च मूल्य को बोली के रूप में विचारा जाएगा । तथापि, खरीद/क्रयादेश, दो मूल्यों में से निचले के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा ।

ठ. इस बोली की वैधता के दौरान अथवा बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो तो, के दौरान यदि बोलीकर्ता भारत में किसी अन्य विभाग/संगठन को उसी संरूपण का कोई सिस्टम अथवा सब-सिस्टम क्रेताओं के लिए निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर बेचता है तो बोलीकर्ता अपने आप खरीददार के लिए लाभ पारित कर देगा, बोलीकर्ता द्वारा किसी अन्य विभाग/संगठन को प्रस्तावित ऐसी कटौती से अधिकतम **30** दिनों की अवधि के अंतर्गत आरईसीएल के लिए दाम कम न करने की स्थिति में, बोलीकर्ता का नामिकायन (एंपैनलमेंट) रद्द कर दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त, बोलीकर्ता को आरईसीएल द्वारा अनिश्चितकाल के लिए अथवा आरईसीएल के विवेकानुसार कुछ विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा तथा बोलीकर्ता की निष्पादन गारंटी अथवा अन्य कोई भुगतान (बकाया अथवा भावी)/गारंटी (अन्य किसी कार्य के प्रति देय/वसूली योग्य सहित) को आरईसीएल द्वारा जब्त कर लिया जाएगा ।

ड. दरें, तकनीकी बोलियों के खुलने की तारीख से, **90 दिनों की एक अवधि के लिए वैध होनी चाहिए बशर्ते कि तकनीकी बोली के खुलने की तारीख से 83 दिनों के उपरांत बोली को वैध समझा जाए, जब तक कि बोलीकर्ता को अपनी बोली वापस** लेने के लिए न्यूनतम सात कार्य दिवस (आरईसी/भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सरकारी कैलेंडर के अनुसार) पूर्व पंजीकृत डाक द्वारा लिखित में नोटिस न दे तथा यदि नोटिस अवधि के दौरान निविदा निर्णीत/सुनिश्चित कर ली गई है तो बोलीकर्ता को उसकी स्वेच्छाकृत पार्टी समझा जाएगा तथा चूक करने की स्थिति में जमा बयाना राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी तथा बोलीकर्ता को, निविदा में तथा/अथवा आरईसी के विवेकानुसार निर्धारित अवधि के लिए आरईसी की सभी निविदाओं के लिए, काली सूची में डाला जाएगा ।

ढ. चयनित विक्रेता (ओं) को, नामिकायन (एंपैनलमेंट) के प्रस्ताव की स्वीकृति तथा बोलीकर्ता द्वारा एंपैनलमेंट/संविदा अनुबंध पर हस्ताक्षर अथवा प्रारंभिक क्रय आदेश देने की तारीख से, जो भी पहले हो, 12 महीनों की अवधि के लिए आरईसीएल के साथ नाम सूची में दर्ज किया जाएगा, इस अवधि को आगे अधिकतम छह महीनों के लिए बढ़ाया जा सकेगा । उद्धृत की गई दरें एंपैनलमेंट अवधि के लिए तथा विस्तारित अवधि, यदि कोई हो तो, के लिए वैध रहेगी ।

ण. मूल्यों में, उपकरणों के संतोषजनक संस्थापन तथा कमीशनिंग सहित भारत में वांछित गंतव्य/स्थानों पर सुपुर्दगी भी शामिल है ।

त. सिस्टमों/उपकरणों के लिए रखरखाव की तीन वर्षीय ऑन-साईट व्यापक वारंटी की अवधि को, सफलतापूर्वक संस्थापन/कमीशनिंग तथा बोलीकर्ता द्वारा आरईसीएल के वांछित गंतव्यों पर उत्पादों की सफलतापूर्वक आपूर्ति उपरांत आरईसीएल द्वारा स्वीकृति की तारीख से, विचारा जाएगा ।

थ. बोली से संबंधित सभी लागतों एवं शुल्कों को भारतीय रूपयों में बताया जाएगा ।

3.8 बोलियों को प्रस्तुत करने की समय सीमा

क. बोलियां आवरण पृष्ठ पर विनिर्दिष्ट दिनांक व समय तक अध्याय-I में दिए गए आरईसीएल के पते पर पहुंच जानी चाहिए। बोलियों के प्रस्तुत करने की निर्दिष्ट तारीख के आरईसीएल के लिए अवकाश घोषित होने की स्थिति में बोलियां अगले कार्य दिवस को नियत समय तक प्राप्त की जाएंगी ।

ख. आरईसीएल अपने विवेकानुसार बोलियों के प्रस्तुत करने की समय सीमा को, निविदा संशोधन के द्वारा, बढ़ा सकता है, इस स्थिति में पूर्व समय सीमा के अनुसार तय आरईसीएल तथा बोलीकर्ताओं के सभी अधिकारी एवं बाध्यताएं, विस्तारित की गई समय सीमा के अनुरूप हो जाएंगी ।

ग. बोलियों के प्रस्तुत करने की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय निविदा दस्तावेज के संशोधन आर ई सी द्वारा जारी किए जाएंगे ।

घ. जारी करने की तारीख से, निविदा दस्तावेज के संशोधनों को निविदा दस्तावेज के एकीकृत अंश के रूप में समझा जाएगा ।

3.9 देरी तथा विलंब से प्राप्त बोलियां

आरईसीएल द्वारा निर्धारित बोलियों को प्रस्तुत करने की समय सीमा के उपरांत आरईसीएल द्वारा प्राप्त बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा/अथवा बिना खोले बोलीकर्ता को वापस कर दिया जाएगा ।

3.10 बोली का खुलना तथा मूल्यांकन

आरईसीएल अध्याय-I में निर्दिष्ट समय, दिनांक तथा स्थान पर बोलियों को, बोलीकर्ताओं द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोलेगा । वहां पर उपस्थित बोलीकर्ताओं के प्रतिनिधि उनकी उपस्थिति के साक्ष्य के रूप में रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे । बोली खुलने की निर्धारित तारीख को आरईसीएल के लिए अवकाश घोषित होने की स्थिति में, बोलियों को अगले कार्य दिवस को नियत समय व स्थान पर खोला जाएगा ।

3.11 बोलियों का खुलना

आरईसीएल क्रमश: जमा बयाना राशि के लिफाफे (तथा बोली दस्तावेज की लागत,यदि लागू हो तो), पात्रता मानदंड दस्तावेज तथा तकनीकी बोली को खोलेगा तथा पात्रता/पूर्व-योग्यता मानदंड दस्तावेज (जों) के सही न पाये जाने के मामले में, बोली को संक्षेपत: अस्वीकृत कर दिया जाएगा । केवल उन्हीं बोलीकर्ताओं की तकनीकी बोली का मूल्यांकन किया जाएगा, जिनकी जमा बयाना राशि (तथा बोली दस्तावेज की लागत, यदि लागू हो तो) तथा पात्रता मानदंड दस्तावेज सही पाये जाएंगे ।

3.12 बोलियों का स्पष्टीकरण

क. बोलियों के मूल्यांकन के दौरान, आरईसीएल अपने विवेक से बोलीकर्ता को उसकी बोली का स्पष्टीकरण देने के लिए पूछ सकता है तथा बोलीकर्ता को उसे आरईसीएल द्वारा निर्धारित न्यूनतम एक दिन की अवधि के अंतर्गत बताना होगा तथा चूक करने की स्थिति में यह माना जाएगा कि बोलीकर्ता के पास प्रस्तुत करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है तथा बोली को मूल्यांकित किया जाएगा तथा/अथवा तदनुसार बोली अस्वीकृत हो जाएगी । स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध व प्रत्युत्तर लिखित में होगा तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की तारीख, बोली के मूल्य अथवा सार में परिवर्तन, प्रस्तावित अथवा मंजूर नहीं होगा ।

ख. कोई बोलीकर्ता, बोली खुलने की तारीख से संविदा दिए जाने तक, अपनी बोली के संबंध में आरईसीएल से संपर्क नहीं करेगा । यदि बोलीकर्ता आरईसीएल को अतिरिक्त जानकारी देना चाहता है तो उसे लिखित में देना होगा ।

ग. बोली मूल्यांकन, बोली की तुलना अथवा संविदा देने के निर्णयों के संबंध में आरईसीएल पर बोलीकर्ता द्वारा प्रभाव डालने का कोई प्रयास बोलीकर्ता की बोली को अस्वीकृत कराने का कारण होगा तथा आरईसीएल द्वारा फर्म को, आरईसीएल के भावी प्रस्ताव हेतु अनुरोधों/निविदाओं में भागीदारी करने के लिए एक निर्धारित अवधि तक अथवा अनिश्चित काल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा ।

घ. आरईसीएल के पास, वित्तीय बोली के खुलने से पूर्व किसी बोली की स्वीकृति से पहले निविदा के विषय-क्षेत्र तथा/अथवा विनिर्देशनों में बदलाव अथवा परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। तथापि, ऐसी संभाविता की स्थिति में सभी योग्य/पूर्व-अर्हक बोलीकर्ता(ओं) को उनके विवेकानुसार उनकी वित्तीय बोली में तदनुसार बदलाव तथा परिवर्तन, यदि आवश्यक हो तो, करने का एक अवसर दिया जाएगा । प्रस्तावित विनिर्देशनों के निविदा में वर्णित विनिर्देशनों से विसामान्य होने के मामले में, बोलीकर्ता को सुस्पष्ट करना चाहिए कि उसने प्रस्तावित वस्तु को किस संबंध में तथा किस सीमा तक हमारे विनिर्देशनों, यहां तक कि विसामान्यता अधिक सुसंगत नहीं है, से भिन्न किया है ।

च. आरईसीएल को अधिकार सुरक्षित है कि वह वित्तीय बोलियों के खुलने से पूर्व किसी भी समय योग्य/पूर्व-अर्हक तथा/अथवा तकनीकी अर्हक बोलीकर्ताओं को, मूल विषय-क्षेत्र तथा/अथवा विनिर्देशनों के साथ परिशोधित वित्तीय बोली के लिए, बुला सकता है । बोलीकर्ता परिशोधित वित्तीय बोली को प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा निर्धारित समयावधि में उनके द्वारा आरईसीएल में जमा कराई गई मूल वित्तीय बोली के साथ बने रह सकते हैं । परिशोधित वित्तीय बोली के प्रस्तुत न करने की स्थिति में बोलीकर्ता को उसकी मूल वित्तीय बोली पर डटे रहना समझा जाएगा । तथापि, इस विशेष मामले में यह नोट किया जाए कि आरईसीएल के अनुरोध पर बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई परिशोधित वित्तीय बोली, योग/उप-योग तथा/अथवा वस्तु की अकेली पंक्ति के मूल्य की दृष्टि से, बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत मूल वित्तीय बोली से किसी भी तरह उच्च नहीं हो सकती ।परिशोधित वित्तीय बोली के मूल वित्तीय बोली से उच्च होने की स्थिति में बोली को संक्षेपतः अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा उसे आगे वित्तीय मूल्यांकन के लिए विचारा नहीं जाएगा ।

3.13 **तकनीकी बोली का मूल्यांकन**

क. खंड **3.6** के अनुसार विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा, तथा आरईसीएल बोली दस्तावेजों के प्रति प्रत्येक बोली की पर्याप्त अनुक्रियाशीलता को निर्धारित करेगा । इन खंडों के उद्देश्य के

लिए एक पर्याप्त अनुक्रियाशील बोली वह है, जो बिना किसी महत्वपूर्ण विचलन के, बोली दस्तावेजों के सभी विनिर्देशनों तथा निबंधन एवं शर्तों के अनुकूल हो ।

ख. अपर्याप्त प्रभावनीय रूप से निर्धारित बोली को आरईसीएल द्वारा अस्वीकृत किया जाएगा तथा उसे तत्पश्चात बोलीकर्ता द्वारा अनुकूल बनाकर अनुक्रियाशील नहीं बनाया जाएगा ।

ग. तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन तथा/अथवा तकनीकी विनिर्देशनों के अनुपालन के आधार पर आरईसीएल द्वारा छांटे गए बोलीकर्ताओं को विस्तृत विचार-विमर्श तथा/अथवा प्रस्तुति/प्रदर्शन के लिए बुलाया जाएगा । उपकरण/सिस्टम/उत्पाद, उद्योग मानक परीक्षणों तथा वर्तमान में उपलब्ध अन्य क्रियाविधियों/निर्धारित तारीख, समय तथा स्थान पर, जो विक्रेता की सुविधा से आरईसीएल द्वारा तय किया जाएगा, आरईसी के एकमात्र वेवेक से विधिवत गठित बेंचमार्किंग/परीक्षण समिति द्वारा बेंचमार्किंग परीक्षण पर आधारित होंगे । विक्रेता को उपकरण/सिस्टम तथा उनके अपने परीक्षण, मापन उपकरण तथा अन्य संबंधित सॉफ्टवेयर के साथ निर्धारित समय, स्थान व तारीख पर आने को कहा जाएगा । बोलीकर्ता को समय, स्थान व तारीख की सूचना कम से कम एक दिन पूर्व दी जाएगी । किसी भी परिस्थिति में दिनांक, समय तथा/अथवा स्थान में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा । मूल्यांकन के लिए आरईसीएल द्वारा दी गई समय रूपरेखा के अंतर्गत बेंचमार्किंग के लिए उपकरणों/सिस्टमों को प्रस्तुत न करने की स्थिति में बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

घ. तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित किसी विशेष/ब्रांडेड उत्पाद को अल्प नोटिस पर भारत में कहीं भी स्थित आरईसीएल/विक्रेता के परिसर में प्रदर्शन/प्रस्तुति के द्वारा तकनीकी रूप से मूल्यांकित किया जाएगा । यदि बोलीकर्ता निर्धारित समय पर तकनीकी मूल्यांकन के लिए नमूना/उद्धृत उत्पाद को लाने में असफल होता है तो, उसकी बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी । आरईसीएल अपने विवेकानुसार चालू मूल्यांकन के दौरान आरईसीएल द्वारा मूल्यांकित किए जा रहे किसी अथवा सभी उत्पादों के प्रदर्शन/परीक्षण न करने का निर्णय ले सकता है ।

च. बोलीकर्ताओं के हित में सुझाव दिया जाता है कि वे सभी तकनीकी पैरामीटरों के अनुकूल मूल्यांकन के लिए सिस्टमों तथा परीक्षित सिस्टम को साथ में लाना सुनिश्चित करें ।

छ. आरईसीएल तथा/अथवा इसके जैड ओ/पी ओ/सीआईआरई को निविदाकृत वस्तुओं के किसी सबसेट/सुपरसेट का आदेश करने का अधिकार सुरक्षित है ।

ज. तकनीकी मूल्यांकन समिति अपने विवेकानुसार, बोलीकर्ता द्वारा तकनीकी बोली में बताई गई जानकारी, प्रस्तावित सेवाओं का निष्पादन करने में सक्षमता, सामर्थ्यता, प्रोजेक्ट के कुशल और प्रभावकारी निष्पादन के लिए बोलीकर्ता के पास उपलब्ध सुविधाएं तथा संसाधनों का मूल्यांकन

तथा पुष्टि करने के लिए बोलीकर्ता की विनिर्माण सुविधाओं तथा/अथवा रखरखाव एवं सहायक केंद्र (केंद्रों) का आकस्मिक निरीक्षण करने का निर्णय ले सकता है ।

झ. प्रस्तुति तथा/अथवा परीक्षण/बेंचमार्किंग सहित तकनीकी मूल्यांकन के लिए, बोलीकर्ताओं को तकनीकी मूल्यांकन समिति तथा मूल्यांकन दल के साथ संपर्क के लिए उनके संगठन से अपेक्षित सॉफ्टवेयर, हर प्रकार के प्रलेखीकरण, उपकरण सहित उपयुक्त विशेषज्ञ की उपलब्धता को सुनिश्चित करना होगा । बोलीकर्ता के उपयुक्त दस्तावेजीकरण, उपकरण तथा उपलब्ध सॉफ्टवेयर सहित अपेक्षित विशेषज्ञ के प्रस्तुत न करने की स्थिति में, ऐसे दोषी बोलीकर्ता को निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया से हटाया जाएगा तथा बोली अस्वीकृत हो जाएगी ।

3.14 वित्तीय बोलियों का खुलना

क. आरईसीएल केवल उन्हीं बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोलियों को खोलेगा जो कार्य को करने के लिए तकनीकी रूप से योग्य पाये जाएंगे ।

ख. तकनीकी रूप से सफल बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोली, उनके द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों के समक्ष, निर्धारित तारीख, समय व स्थान पर खोली जाएगी ।

ग. केवल तकनीकी रूप से अर्हक बोलीकर्ताओं को वित्तीय बोलियों के खुलने की तारीख व समय से अवगत कराया जाएगा ।

3.15 बोलियों का मूल्यांकन तथा तुलना

क. वस्तुओं के सर्वसमावेशी मूल्य की तुलना की जाएगी, ऐसे मूल्य में भुगतान अथवा देय शुल्क और कर सहित सभी लागते शामिल होंगी ।

ख. अंकगणितीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर दूर किया जाएगा: यदि यूनिट मूल्य तथा कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है, जो यूनिट मूल्य तथा मात्रा के गुणन करने के फलस्वरूप प्राप्त हुई है, तो यूनिट मूल्य वही रहेगा तथा कुल मूल्य को ठीक कर दिया जाएगा । यदि विसंगति शब्दों तथा अंकों के मध्य हुई है तो, दोनों में से उच्च दर को बोली के मूल्य के रूप में लिया जाएगा । किंतु बोलीकर्ता के न्यनतम बोलीकर्ता होने की स्थिति में न्यूनतम बोलीकर्ता का परिकलन करने के उद्देश्य के लिए, दोनों में से न्यूनतम को, क्रय आदेश जारी करने के समय वस्तुओं के लिए, अंतिम मूल्य के रूप में विचारा जाएगा ।

ग. बोलीकर्ता को केवल निविदा अध्याय-**4: खंड 4.2** में दी गई भुगतान अनुसूची की रूपरेखा तथा संलग्नक-घ 'मूल्य अनुसूची' में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार, अपनी बोली मूल्य को बताना चाहिए तथा संलग्नक-घ 'मूल्य अनुसूची' में दिए गए संशोधनों/अनुशेषों/आशोधनों के मामले में बोली पूर्णतया तथा संक्षेपतः अस्वीकृत कर दी जाएगी ।

घ. बोलियों को, (सारणी-I संलग्नक-घ) समग्र योग, जो मुख्यतया सभी पंक्तियों **(क्रम सं0 1 से 13) के योग पर आधारित है, के लिए न्यूनतम भाव दर (एल क्यू 1)** आधार पर मूल्यांकित किया जाएगा ।

च. प्रारंभिक आदेश एलक्यू 1 **बोलीकर्ता के आधार पर आरईसी के सभी कार्यालयों के लिए दिया जाएगा तथा एलक्यू 1** विक्रेता को आरईसी की सूची में सम्मिलित किया जाएगा । तथापि, आरईसी अपने एकल विवेक द्‌वारा अन्य तकनीकी रूप से अर्हक बोलीकर्ताओं के वर्ग को, किसी उत्तरवर्ती आवश्यकता के लिए एलक्यू 1 बोलीकर्ता के साथ स्नैप बोली में भाग लेने के लिए, सूची में शामिल करने का निर्णय ले सकता है । आरईसी अपने एकल निर्णय विवेक से अन्य बोलीकर्ताओं को नामिकायन (एंपैनलमेंट) का प्रस्ताव दे सकता है तथा स्नैप बोली केवल उन बोलीकर्ताओं के बीच कार्यान्वित की जाएगी, जिन्होंने आरईसी के प्रस्ताव को स्वीकार किया है तथा एलक्यू 1 बोलीकर्ता, जिसने पहले से ही निष्पादन बैंक गारंटी जमा कर दी है, को छोड़कर नामिकायन अवधि के उपरांत तीन महीनों के लिए वैध रूपये **25,000/-** (मात्र पच्चीस हजार रूपये) की बैंक गारंटी प्रस्तुत की है ।

छ. उपरोक्त अनुसार नामिकायन (एंपैनलमेंट) के लिए आरईसीएल का निर्णय अंतिम होगा तथा किसी के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

ज. पैनल, नामिकायन प्रस्ताव की स्वीकृति तथा बोलीकर्ता द्‌वारा एंपैनलमेंट/संविदा अनुबंध पर हस्ताक्षर होने अथवा प्रारंभिक क्रय आदेश जारी करने की तारीख से, जो भी पहले हो, प्रारंभ में 12 (बारह) महीनों की अवधि के लिए वैध रहेगा । आरईसीएल की आवश्यकता तथा इसके प्रोजेक्ट की अपेक्षाओं के आधार पर इसे **आगे 06** (छह) महीनों की अवधा के लिए बढ़ाया जाएगा ।

झ. बोलीकर्ता यह आवश्यक रूप से नोट कर लें कि आरईसीएल के पास अधिकार सुरक्षित है कि वह बिना स्नैप बोली के सूची में सम्मिलित किसी विक्रेता को एल क्यू 1 की दरों पर तथा/अथवा विक्रेता द्‌वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरों पर, उस समय की परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के आधार पर बिना कोई कारण बताए अपने विवेकानुसार, क्रय आदेश दे सकता है ।

ट. आरईसीएल के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह सीमित/एकल भाव-दर के आधार पर सूचीबद्ध विक्रेताओं से तथा/अथवा अपने विवेकानुसार अन्य स्रोतों से पेरीफेरलों सहित आपूर्ति सिस्टमों/उपकरणों अथवा अन्यत्र के विनिर्देशनों को उन्नयन/अद्‌यतन करने जैसे अन्य अतिरिक्त पुर्जों/वैकल्पिक वस्तुओं/अनुषंगियों इत्यादि का प्रापण कर सकता है । तथापि, यदि मूल उपकरण/सिस्टम का पूर्तिकर्ता इन अतिरिक्त पुर्जों/वैकल्पिक वस्तुओं/अनुषंगियों/पैरीफेरलों इत्यादि की आपूर्ति नहीं कर रहा है, तो अतिरिक्त पुर्जों/वैकल्पिक वस्तुओं/अनुषंगियों/पेरीफेरलों के पूर्तिकर्ता के साथ मूल सिस्टम/उपकरण के रखरखाव की ऑन-साईट व्यापक वारंटी के अधीन

तथा दौरान, इन पुर्जों/वैकल्पिक वस्तुओं/अनुषंगियों/पेरीफेरलों इत्यादि के संस्थापन तथा कमीशनिंग को बिना किसी खर्च पर मूल सिस्टम/उपकरण का पूर्तिकर्ता करेगा, बशर्ते कि वह इन अतिरिक्त वस्तुओं के किसी दोष/अकृत्य/वारंटी के लिए उत्तरदायी न हो ।

ठ. विक्रेता किसी अन्य एजेंसी की किसी भी रूप में एंपैनलमेंट अथवा उसके किसी अंश को समनुदेशित तथा/अथवा उप पट्टे पर नहीं देगा/ऐसा करने पर उसका एंपैनलमेंट समाप्त कर दिया जाएगा तथा प्रतिभूति जमा/निष्पादन गारंटी इत्यादि जब्त कर ली जाएगी ।

ड. इन निबंधन एवं शर्तों में किसी परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जाएगा । इनका उल्लंघन होने पर बोली अस्वीकृत तथा जमा बयाना राशि/प्रतिभूति जमा जब्त हो जाएगी ।

3.16 **बोलियों की भाषा**

सभी बोलियों तथा सहायक दस्तावेज अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाएं, वे सुस्पष्ट हों, तथा अनाप-शनाप और संदिग्ध शब्दों अथवा वाक्यांशों, जिनमें व्याख्या अपेक्षित है, से मुक्त हों ।'उपलब्धता के आधार पर', 'स्वीकृति के आधार पर' 'बाद में उपलब्ध कराया जाएगा' इत्यादि जैसी अभिव्यक्तियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

क. बोलीकर्ता को निविदा प्रस्ताव में शोधन/विलोपन न हों पर ध्यान देना चाहिए । निविदा में किए गए शोधनों/विलोपनों, यदि कोई हो तो, पर निविदाकर्ता फर्म के हस्ताक्षर अथवा कार्यालय मोहर से प्रामाणिक किया जाए ।

ख. अपूर्ण निविदाएं, निविदा खुलने के उपरांत प्राप्त उसके संशोधन तथा परिवर्तन तथा/अथवा देरी से प्रस्तुत निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

ग. बोलीकर्ता की मुद्रित निबंधन एवं शर्तें, यदि कोई हो तो, को निविदा के अंश के रूप में विचारा नहीं जाएगा । अनुबंधित किसी शर्त एवं निबंधन के अस्वीकार्य होने की स्थिति में, बोलीकर्ता को अपने प्रस्ताव में विचलन को स्पष्ट रूप से बताना होगा । इसी प्रकार, यदि आरईसी द्वारा निर्धारित अनुसूची/प्रोफार्मा में कोई आशोधन करना आवश्यक है, तो बोलीकर्ता अलग कागज पर उसे संप्रेषित करेगा तथा उसे निविदा के साथ संलग्न करेगा ।

3.17 निष्पादन बैंक गारंटी

क. **एंपैनलमेंट के लिए सफल बोलीकर्ताओं को निविदा का नोटिस दिए जाने की तारीख से 30 (तीस) कार्य दिवसों के अंतर्गत, संविदा के उचित निष्पादन एवं पूर्ति की एवज में रूपये 25,000/- की धनराशि की निष्पादन बैंक गारंटी (आरईसीएल द्वारा दिए गए फॉर्मेट के अनुसार), जो 15 महीनों के लिए वैध हो, को अपने खर्च पर उप महाप्रबंधक (प्रौद्योगिकी) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, स्कोप कांपलेक्स, 7-लोदी रोड़, नई दिल्ली- 110003 के पास जमा करना**

होगा । सफल रूप से नाम सूचीबद्ध बोलीकर्ताओं की जमा बयाना राशि को, उपर्युक्त निष्पादन गारंटी मिलने पर, वापस कर दिया जाएगा ।

ख. निष्पादन बैंक गारंटी किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में आहृत रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में नई दिल्ली में देय होनी चाहिए ।

ग. निष्पादन बैंक गारंटी को, संविदा के तहत विक्रेता के दायित्वों का उचित रूप से संतोषजनक निष्पादन करने के साथ, संविदा पूर्ण होने के उपरांत आरईसी द्वारा चुका दिया जाएगा/वापस कर दिया जाएगा। निष्पादन बैंक गारंटी वारंटी अवधि की समाप्ति उपरांत भी तीन महीने तक वैध रहेगी ।

घ. **उपरोक्त अपेक्षा का अनुपालन करने अथवा 30 दिनें के अंतर्गत अथवा अन्य ऐसी विस्तारित अवधि के अंतर्गत, जैसा उप महाप्रबंधक (प्रौद्योगिकी), रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेश लिमिटेड, स्कोप कांपलेक्स, 7-लोदी रोड़, नई दिल्ली - 110003 द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा, संविदा करने में बोलीकर्ता का विफल होना निविदा के अभिशून्यन के लिए, अन्यों के बीच, यदि कोई है तो, पर्याप्त आधारों को संस्थापित करता है ।**

च. एंपैनलमेंट अवधा के दौरान किसी भी कारण से विक्रेता का सेवाओं के उपलब्ध न करा पाने की स्थिति में, निष्पादन गारंटी को आर ई सी द्वारा प्रतिसंहरण कर लिया जाएगा ।

छ. निष्पादन बैंक गारंटी के लिए कोई बैंक शुल्क/ब्याज देय नहीं होगा ।

ज. आरईसी को, अनवधानता, त्रुटि, दुरभिसंधि, मिथ्याग्रहण, अपकथन के कारण बोलीकर्ता के बिलों से, बैंक गारंटी से, अथवा बोलीकर्ता को देय अन्य धनराशि, उसको किए गए किसी भुगतान का समकक्ष मूल्य, से वसूली करने का अधिकार है ।

अध्याय 4

संविदा के सामान्य निबंधन और शर्तें

4.1 **कार्य-क्षेत्र**

संविदा के कार्य क्षेत्र में उपकरणों की आपूर्ति तथा अध्याय **2** में दी गई सभी सेवाएं शामिल हैं ।

4.2 **भुगतान की शर्तें**

क. कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा ।

ख. भुगतान किसी भी राशि, जिसके लिए विक्रेता इस संविदा के समक्ष अनुबंध के तहत उत्तरदायी है, की कटौती के आधार पर दिया जाएगा । साथ ही, सभी भुगतान, विद्‍यमान आयकर

अधिनियम के अनुसार टी डी एस (स्रोत पर काटा गया कर) तथा बीजक जमा की तारीख तथा /अथवा भुगतान तारीख, जो भी अधिक हो, को अन्य करों की कटौती के आधार पर दिए जाएंगे ।

ग. सभी भुगतान भारतीय रूपयों में किए जाएंगे ।

घ. **80 प्रतिशत राशि का भुगतान, क्रय आदेश में उल्लेखित गंतव्य/स्थान पर सफलतापूर्वक सुपुर्दगी करने तथा वारंटी उपरांत भी तीने महीनों के लिए वैध बैंक गारंटी के रूप में क्रयादेश मूल्य के 10 प्रतिशत जमा करने पर, किया जाएगा**

च. शेष 20प्रतिशत राशि का भुगतान, सफलतापूर्वक संस्थापन एवं कमीशनिंग को प्रयोक्ता तथा/अथवा आरईसीएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के उपरांत, किया जाएगा।

छ. भुगतान प्रकमण के लिए विक्रेता को, सुपुर्दगी के सभी संबंधित साक्ष्य, जिन पर आरईसीएल के विभिन्न कार्यालयों में संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों, तथा बैंक गारंटी इत्यादि प्रस्तुत करनी होगी ।

4.3 **विलंब के लिए परिनिर्धारित नुकसानी**

क. संविदा का मूल सार समय है। सफल विक्रेता, अनुसूची । में निर्धारित सभी उपकरणों की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण तथा कमीशन को आदेश सौंपे जाने के 4 सप्ताह के अंतर्गत **अनिवार्य रूप से कर दें। अनुबंधित तारीख को/से पूर्व सभी अथवा कुछ उपकरणों की आपूर्ति अथवा कमीशन न करने की स्थिति में, प्रति सप्ताह संविदाकृत पैकेज कीमत का 1.5 प्रतिशत के समान मूल्य की पेनल्टी जो अधिकतम कुल संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत होगी, अधिरोपित की जाएगी संविदा पैकेज के मूल्य की 1.5 प्रतिशत राशि पार्टियों की सहमति से पूर्व-निर्धारित तथा पूर्व-अनुमानित की गई है । परिनिर्धारित नुकसानी की अदायगी सफल बोलीकर्ता के दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगी ।**

ख. अनुबंधित समयावधि के 10 दिन परे आदेश के अनुपालन में विलंब हाने की स्थिति में, आरईसी को आदेश रद्द करने तथा जमा बयाना राशि/निष्पादन/अन्य कोई बैंक इत्यादि गारंटी को प्रतिसंहरण करने का अधिकार होगा ।

ग. इसके अतिरिक्त बोलीकर्ता, उपरोक्त ख्डां 4.3(क) के अनुसार पेनल्टी के अलावा अनापूर्तित वस्तुओं के मूल्य का 2 प्रतिशत निरस्तीकरण शुल्क भी आरईसीएल को अदा करने का उत्तरदायी होगा । निरस्तीकरण शुल्क अदा न करने की स्थिति में आरईसीएल को बोलीकर्ता की प्रतिभूति जमा, यदि कोई हो तो, (आरईसीएल के पास पहले से उपलब्ध) से उक्त शुल्क को वसूल करने का अधिकार है । ऐसी परिस्थिति में, आरईसीएल को चूककर्ता विक्रेता के जोखिम और खर्च पर वैकल्पिक स्रोतों के द्वारा अपूर्ण आदेशों के निष्पादन को पूर्ण कराना होगा ।

4.4 **संविदा की समाप्ति**

क. यदि बोलीकर्ता संविदा के अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ है तो, आर ई सी किसी भी समय संविदा को समाप्त कर सकता है । ऐसे मामलों में, बोलीकर्ता द्वारा निष्पादित कार्य के लिए यदि कोई धनराशि देय है तो, उसका भुगतान, संविदा के उपबंधों के अनुसार समुचित वसूलियों को करने के उपरांत तथा बोलीकर्ता के जोखिम और खर्च पर कार्य को पूर्ण करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होने के उपरांत, किया जाएगा । चयनित बोलीकर्ता को सेवा छोड़ने से पूर्व न्यूनतम तीन माह का नोटिस देना होगा ।

ख. यदि चयनित विक्रेता दिवालिया हो जाता है तो, आर ई सी उसे बिना किस क्षतिपूर्ति के, लिखित रूप से नोटिस देकर संविदा को किसी भी समय समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि ऐसा समापन कोई प्रतिकूल प्रभाव न डाले अथवा किसी कार्रवाई अथवा उपायात्मक अधिकार, जो आरईसीएल को कभी भी प्रोद्भूत करने को प्रभावित न करता हो ।

ग. आरईसीएल चयनित विक्रेता को लिखित नोटिस देने के द्वारा अपनी सुविधानुसार, क्रय आदेश तथा/अथवा संविदा तथा/अथवा एंपैनलमेंट को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी भी समय समाप्त कर सकता है । समापन के नोटिस में आरईसीएल की सुविधा, कार्य निष्पादन की किस सीमा के तहत क्रय आदेश तथा/अथवा संविदा को समाप्त किया गया है, तथा ऐसा समापन किस तारीख से प्रभावी होगा, को स्पष्ट रूप से बताया जाए । आरईसीएल को निम्नुसार चयन करने का अधिकार सुरक्षित है:

i क्रय आदेश तथा/अथवा संविदा अवधि तथा मूल्य के किसी अंश को पूर्ण कराने; तथा अथवा

ii शेष को रद्द करने तथा चयनित विक्रेता को आंशिक रूप से संपादित सेवाओं के लिए सहमत की गई राशि के भुगतान करने का अधिकार है ।

घ. विक्रेता की कंपनी अथवा कंपनी के संबंधित प्रभाग को किसी अन्य कंपनी द्वारा अधिकार में लेने/खरीदने की स्थिति में, उनके स्थानांतरण के समझौते की बातचीत अनुसार, आरईसीएल के साथ अनुबंधित सभी बाध्यताओं, को नई कंपनी व नये प्रभाग को अनुपालन के लिए पारित कर दी जाएं ।

च. आरईसीएल अपने विवेकानुसार आपूर्ति, कमीशनिंग तथा/अथवा उपकरणों/उत्पादों के रखरखाव में अनियमित विलंब के लिए एंपैनलमेंट को समाप्त कर सकता है ।

4.5 **शासी विधि और विवाद**

क. पार्टियां एतदद्वारा सहमत है कि इन दस्तावेजों के तहत उठने वाले अथवा सभी संबंधित मामलों में नई दिल्ली के न्यायालयों में अनन्य अधिकारिता रहेगी ।

ख. बोलियां तथा उसके फलस्वरूप संविदा को शासित तथा उसके अर्थ ग्रहण को भारत के कानून के अनुसार किया जाएगा ।

ग. इस निविदा दस्तावेज के निर्माण, तात्पर्य तथा ऑपरेशन अथवा प्रभाव तथा उनके खंडन से संबंधित पार्टियों (अर्थात् आरईसी तथा बोलीकर्ता) के बीच उठने वाले सभी विवादों अथवा मतभेदों का निवारण सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाएगा । तथापि, यदि उपरोक्त अनुसार पार्टियां उन्हें सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने में असमर्थ हैं तो उसका निपटान माध्यस्थम् तथा सुलह अधिनियम, **1986** के अनुसार सी एम डी, आरईसीएल द्वारा नियुक्त एकमात्र विवाचक द्वारा किया जाएगा । विवाचक एक तर्कयुक्त तथा व्याख्यानपूर्ण अधिनिर्णय देगा । माध्यस्थम् का स्थान नई दिल्ली में होगा । विवाचक की फ़ीस तथा अन्य शुल्क को दोनों पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा ।

घ. माध्यस्थम् की कार्यवाही के दौरान सफल बोलीकर्ता संविदा के अंतर्गत कार्य करते रहेंगे बशर्ते कि उन्हें आरईसी द्वारा लिखित में अन्य प्रकार से निर्देशित न किया गया हो ।

च. माध्यस्थम् का स्थान नई दिल्ली होगा तथा उसे माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, **1996** तथा उसके समय-समय पर जारी संशोधनों द्वारा शासित किया जाएगा ।

4.6 सुपुर्दगी, संस्थापन तथा कमीशनिंग

क. सुरक्षित सुपुर्दगी के सभी पहलुओं का उत्तरदायित्व अनन्य रूप से विक्रेता का होगा । गंतव्य स्थल पर, कार्टनों को आरईसीएल के प्रतिनिधियों तथा विक्रेता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला जाएगा तथा कार्टन की अंतर्वस्तु की प्राप्ति के साथ छेड़छाड रहित, साबुत पायी गयी सील से उसकी अच्छी स्थिति का पता चलेगा, जो अच्छी स्थिति में सामान प्राप्त को प्रमाणित करने का आधार होगा ।

ख. साईट तैयार नहीं(एसएनआर) के मामलों में, विक्रेता को एंड यूज़र द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र को आरईसीएल देना होगा । तथापि, साईट की तत्परता के संबंध में उप महाप्रबंधक (प्रौद्योगिकी) का निर्णय अंतिम होगा । एसएनआर मामलों के लिए कोई पेनल्टी अधिरोपित नहीं की जाएगी, हालांकि, विक्रेता को डीजीएम(आईटी)/एंड यूज़र से साईट तैयार का नोटिस मिलने के **2** (दो) सप्ताह के अंतर्गत वस्तुओं को संस्थापित करना होगा अन्यथा आरएफपी के खंडों के अनुसार पेनल्टी अधिरोपित होगी, जो बैंक गारंटी से भी वसूली योग्य है ।

ग. साईट पर संस्थापन के दौरान, कोई वस्तु खराब अथवा टूटी पायी जाती है तो, उसे विक्रेता के जोखिम और खर्च पर, ऐसी क्षति के विक्रेता को बताये जाने की तिथि से **15** दिनों के अंतर्गत, विक्रेता द्वारा नया बदला जाएगा ।

घ. आपूर्तित किए जाने वाले सिस्टमों को निर्दिष्ट ऑपरेटिंग सिस्टमों के तहत क्रिया करनी होगी । यह विक्रेता की अनन्य जिम्मेवारी होगी कि वह प्रत्येक सिस्टम के लिए अलग से इन सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लेटफार्मों हेतु उपयुक्त मीडिया तथा प्रलेखीकरण के साथ उचित डिवाईस ड्राइवरों के उपलब्ध कराए ।

4.7 रखरखाव वारंटी

क. सभी सिस्टम (हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा वैकल्पिक वस्तुओं) को, साईट पर स्वीकृत करने की तारीख से रखरखाव सहायता की तीन वर्षीय ऑन-साईट व्यापक वारंटी के तहत होना चाहिए ।

ख. वारंटी अवधि के दौरान विक्रेता को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:-

I. सिस्टम में अथवा उसके सब-सिस्टम में कोई खराबी होने पर उसे, शिकायत दर्ज करने के एक कार्य दिवस की अवधि के अंतर्गत अटैंड करना होगा अन्यथा सिस्टम क्रयादेश मूल्य के **0.25** प्रतिशत (प्वाइंट 25 प्रतिशत) की दर से प्रति सिस्टम प्रति दिन पैनल्टी देनी होगी ।

II. विक्रेता को छह महीनों के आधार पर संचयी पेनल्टी राशि को, आरईसीएल द्वारा वसूली की ऐसी सूचना मिलने के **30 (तीस**) दिनों के अंतर्गत बैंक ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के रूप में आरईसीएल को जमा करानी होगा ।

III. किसी सिस्टम के तीन महीनों में न्यूनतम तीन बार सब-सिस्टम स्तर पर खराब होने, क्रोनिक सिस्टम डिजाइन का प्रदर्शन करने अथवा निर्माण दोष अथवा गुणता नियंत्रण समस्या के होने पर उसे पिछली खराबी की तारीख से **30** (तीस) दिनों के अंतर्गत विक्रेता के जोखिम और खर्च पर, समकक्ष नये सिस्टम के साथ बदला जाएगा ।

ग. वारंटी अवधि की समाप्ति पर, सभी सिस्टमों के लिए तीन वर्ष की वारंटी अवधि के दौरान उचित वारंटी सहायता उपलब्ध कराये जाने की संतोषजनक रिपोर्ट के उपरांत प्रतिभूति जमा को बिना ब्याज के जारी कर दिया जाएगा । बताए गए अनुसार किसी चूक के होने की स्थिति में, प्रतिभूति जमा राशि को वापस देने के दौरान, पेनल्टी की उपयुक्त राशि को विक्रेता की देय राशि से अथवा जमा प्रतिभूति से बरामद की जाए ।

4.8 भ्रष्ट अथवा कपटपूर्ण व्यवहार

क. बोलीकर्ता तथा विक्रेता संविदा के निष्पादन तथा प्रापण के दौरान उच्च स्तर की आचरणनीति का पालन करेंगे ।

ख. आरईसीएल संविदा प्रदान करने के किसी प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देगा, यदि यह पाया जाता है कि संविदा प्रदान करने के लिए संस्तुत बोलीकर्ता ने संविदा को प्राप्त करने के लिए छल एवं कपट का प्रयोग किया है ।

ग. आरईसीएल संविदा प्रदान किए जाने वाली किसी फर्म को अनिश्चितकाल हेतु अथवा किसी निश्चित समयावधि के लिए अयोग्य घोषित कर देगा, यदि यह पाया जाता है कि इस बोली हेतु अथवा संविदा निष्पादन के लिए फर्म ने छल एवं कपट का प्रयोग किया है ।

4.9 क्षतिपूर्ति खंड

क. आरईसीएल को आपूर्तित किए जा रहे सॉफ्टवेयर,उपकरण, डिजाइन आदि चोरी के न हो, से बचने के लिए फर्म को एक क्षतिपूर्ति बंध-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे ।

ख. चयनित विक्रेता आरईसीएल को, आपूर्तित सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर/जनशक्ति इत्यादि तथा संबंधित सेवाएं अथवा उसके किसी अंश का उपयोग करने से उत्पन्न पेटेंट,ट्रेडमार्क/ कॉपीराईट अथवा इंडस्ट्रियल डिजाइन के अतिलंघन किसी तृतीय पक्ष का दावा करने के संबंध में, क्षतिपूर्ति करेगा ।

4.10 फोर्स मेजर खंड

यदि किसी समय, इस संविदा के चलते, संविदा के तहत बाध्य किसी भी पक्ष द्वारा पूर्ण निष्पादन अथवा उसके अंश में, किसी युद्ध, शुत्रता, दुश्मनों के कृत्य, सिविल हुल्लड़,तोड़-फोड़, आगजनी, बाढ़, विस्फोट, महामारी निरोधात्मक कार्रवाई, हड़तालों, तालाबंदी अथवा ईश्वरीय कृत्य (यहां इसके बाद इसे 'घटना' संदर्भित किया गया है। के कारणों से रोका गया है अथवा विलंबित हुआ है तो ऐसी घटना के होने पर संबंधित पार्टी देश के वाणिज्य मंडल/उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा विधिवत पृष्ठांकित सूचना को घटना होने तथा उसके समाप्त होने से 72 घंटों के अंतर्गत देना होगा तथा दूसरी पार्टी को उठाये गये कदम की वजह से संतुष्ट करेगा । ऐसी स्थिति मे, कोई भी पार्टी संविदा को समाप्त नहीं करेगी तथा अनिष्पादन अथवा निष्पादन में विलंब के लिए कोई दावा नहीं करेगी, तथा संविदा अंतर्गत डिलिवरियों को ऐसी घटना के बंद होने के उपरांत यथासाध्य शुरू किया जाएगा तथा डिलिवरियों को पुनः शुरू करना है अथवा नहीं एकमात्र अंतिम निर्णय क्रेता का होगा, साथ ही, यदि किसी किसी घटना के कारण इस संविदा के तहत पूर्ण कार्य निष्पादन अथवा किसी अंश का अथवा अन्य किसी बाध्यता मे **60** दिनों की अवधि से अधिक विलंब हो जाता है अथवा उसे उक्त अवधि तक रोका जाता है तो, क्रेता अपने विवेक से संविदा को समाप्त कर देगा ।

4.11 विविध

क. प्रत्येक बोलीकर्ता का, उन सभी स्थानीय स्थितियों तथा घटकों, जो उनके कार्य तथा उसकी लागत को प्रभावित करेंगे, से परिचित होना लाजिमी होगा ।

ख. यद्यपि व्यक्तिगत प्रस्ताव को वाणिज्यिक भरोसे में रखा जाएगा, प्रस्तावों को एक समूह, जिसके निश्चित सदस्य जरूरी नहीं है कि आरईसीएल के अधिकारी हों, द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा । इस

निविदा में प्रत्युत्तरकारी संभावी आपूर्तिकर्ता अपने प्रस्तावों को इस समूह द्वारा परीक्षित किए जाने के लिए सहमत हैं ।

ग. आरईसीएल एक सरकारी संगठन है तथा इसके उद्देश्य, संरचना तथा कार्य शैली एक वाणिज्यिक उद्यम से भिन्न हो सकती है । संभावी विक्रेताओं को आरईसीएल की स्थिति तथा पर्यावरण से परिचित होना होगा, तथा यह विशेष रूप से नोट कर लें कि इस प्रोजेक्ट के लिए किसी सॉफ्टवेयर, उपकरण, उत्पाद तथा सामग्री से संबंधित अर्जित किए गए बौद्धिक संपत्ति अधिकारों को उपयुक्त रूप से प्रेक्षित किया जाएगा ।

घ. प्रस्तावित उपकरणों/सिस्टमों को संलग्नक-च में दी गई अपेक्षाओं तथा विनिर्देशनों पर आधारित होने चाहिए ।

च. बोलीकर्ता को संविदा निष्पादन के दौरान अद्यतन अंगभूतों तथा तकनीकों को शामिल करना होगा ।

छ. आरईसीएल के पास संविदागत कार्य को अलग-अलग समय/सोपान पर अथवा चरणबद्ध तरीके से कराने के लिए आबंटि करने का अधिकार सुरक्षित है ।

ज. बोलीकर्ता को सिस्टमों के संतोषजनक संस्थापन तथा कमीशनिंग के उपरांत तीन वर्षों के लिए उनके रखरखाव की ऑन-साईट व्यापक वारंटी की सहायता सेवाएं देनी होंगी ।

झ. निविदा में किसी परिवर्तनों को विक्रेता द्वारा उपयुक्त रूप से साक्ष्यांकित किया जाए अन्यथा बोली अस्वीकृत हो जाएगी ।

ट. विक्रेता द्वारा तैयार की गई बोलियों विक्रेता द्वारा आरईसीएल को प्रस्तुत बोलियों से संबंधित सभी पत्राचारों तथा दस्तावेज अंग्रेजी भाषा मे लिखे होने चाहिए, विक्रेता द्वारा किसी अन्य भाषा में किसी मुद्रित सामग्री को भेजने के मामले में, उसका अंग्रेजी पाठ बोली की व्याख्या को समझने के लिए उपलब्ध कराना होगा तथा ऐसी स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद प्रभावी होगा

ठ. सेवाओं के निष्पादन के लिए खर्च सभी करों, शुल्कों, चुंगी, लाइसेंस फीस इत्यादि के लिए पूर्ण रूप से विक्रेता उत्तरदायी होगा तथा संविदा प्रदान करने की अधिसूचना के उपरांत किसी कारण से शुल्क/कर इत्यादि की कोई कटौती होती है तो, उसे आरईसीएल को पास किया जाए ।

ड. चयनित विक्रेता को संविदा के अंतर्गत बाध्यताओं का कार्यान्वयन तथा सेवाओं का निष्पादन, उद्योग में प्रयुक्त अभ्यासों तथा सामान्य स्वीकृत तकनीकों के अनुसार तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायिक निकायों द्वारा मान्य व्यावसायिक इंजीनियरिंग तथा प्रशिक्षण/परामर्श मानकों के साथ अध्यवसाय तथा कुशलता से करना होगा तथा श्रेष्ठ प्रबंधन, तकनीकी एवं इंजीनियरिंग अभ्यासों का अनुपालन करना होगा । उसे उपयुक्त अत्याधुनिक तकनीक तथा सुरक्षित एवं प्रभावकारी उपकरणों, मशीनरी, सामग्री तथा पद्धतियों को नियोजित करना होगा । विक्रेता को इस संविदा से संबंधित किसी मामले में

सदैव आरईसीएल के प्रति एक विश्वासपात्र सलाहकार के रूप में कार्य करना होगा तथा सदैव तृतीय पक्ष के साथ किसी व्यवहार में आरईसीएल के न्यायसंगत हितों को सुरक्षित एवं समर्थित करना होगा ।

ढ. आरईसीएल को अधिकार है कि वह कार्य शुरू होने से पूर्व अथवा कार्य के दौरान विक्रेता की कार्य निष्पादन का निरीक्षण कर सकता है । निरीक्षण में समनुदेशित क्रय आदेश, विशेषकर कार्यप्रणाली, जनशक्ति, अवसंरचना इत्यादि शामिल है । आरईसीएल के पास, किसी भी समय विक्रेता को समनुदेशित क्रय आदेश, जिसमें बिना कारण बताए समनुदेशित कार्य की समाप्ति उपरांत समयावधि को शामिल किया गया है, को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है । क्रयादेश के रद्द होने की स्थिति में, जोखिम और खर्च विक्रेता द्वारा वहन किया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में विक्रेता आरईसीएल से किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा ।

ण. चयनित विक्रेता, आरईसीएल की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, संविदा, अथवा इसके किसी उपबंध, अथवा किसी विनिर्देशन, योजना, सॉफ्टवेयर कोड, इस संबंध में आरईसीएल द्वारा/की ओर से अग्रेषित सूचना के नमूने का, संविदा के लिए नियोजित विक्रेता के कर्मचारी को छोड़कर किसी के समक्ष प्रकट नहीं करेगा । किसी नियोजित कर्मचारी को भरोसे में रखकर किया गया ऐसा प्रकटीकरण संभवता केवल ऐसे कार्य निष्पादन के उद्देश्यों के लिए अनिवार्य होना चाहिए ।

त. यदि चयनित विक्रेता संविदा अंतर्गत अपनी बाध्यताओं, जिसमें कार्य को पूर्ण न करना शामिल है, को पूर्ण करने में असमर्थ होता है तो, आरईसीएल के अधिकार है कि वह शेष कार्य को किसी अन्य विक्रेता के द्वारा संपन्न कराये तथा विक्रेता की जमा बयाना राशि/प्रतिभूति जमा को जब्त कर लिया जाएगा । साथ ही, इस संबंध में हुए खर्चों, क्षति इत्यादि की पूर्ति को चयनित विक्रेता द्वारा वहन किया जाएगा ।

थ. बोलीकर्ताओं के मुद्रित निबंधन एवं शर्तों के उनकी बोली के रूप में नहीं विचारा जाएगा । बोली आमंत्रण के लिए लागू संविदा की निबंधन एवं शर्तों के किसी बोलीकर्ता के स्वीकार्य न होने की स्थिति में, उसे अपनी बोली में विचलन को स्पष्ट रूप से इंगित करना होगा ।

द. चयनित विक्रेता, आरईसीएल द्वारा जारी क्रय आदेशों के निष्पादन में निष्पक्ष कार्य व्यवहार के सभी पहलुओं के सम्मान देने के लिए आरईसीएल के साथ स्वत सहमत रहेगा ।

ध. यदि किसी उत्पाद का नाम, उसी सारभूत विवरण के साथ, बदल दिया गया है तो मूल उत्पाद के संबंध में सहमत सभी तकनीकी वित्तीय हितों को आरईसीएल को पास कर दिया जाएगा तथा विक्रेता की पुराने उत्पाद के नाम से ली गई सभी बाध्यताओं को नये नाम वाले उत्पाद क लिए पारित कर दिया जाएगा ।

न. आरईसी तथा/अथवा उसकी गौण तथा/अथवा संबद्ध तथा/अथवा संघिनी संस्थाओं इत्यादि को, क्रय आदेश करने/प्रापण करने इत्यादि के लिए इस निविदा को अपने विवेक से प्रयोग में लाने का अधिकार सुरक्षित है ।

संलग्नक

<u>संलग्नक - क</u>

तकनीकी बोली

बोली प्रपत्र

(बोली दस्तावेज प्रस्तुत कर रही फर्म के पत्रशीर्ष पर)

सेवा में,

उप महाप्रबंधक (प्रौद्योगिकी),
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर **4, स्कोप कांपलेक्स,**
लोदी रोड़,
नई दिल्ली-110003

संदर्भ: बोली दस्तावेज सं0 **दिनांक.....................**

महोदय,

बोली दस्तावेजों की जांच करने तथा उनके लिए तकनीकी बोली प्रस्तुत करने के उपरांत, मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, मांग अनुसूची के अनुसार तथा उक्त बोली दस्तावेजों के अनुरूप, एतद्द्वारा उपकरणों, उत्पादों की आपूर्ति तथा सेवाओं के लिए वित्ती बोली करता हूं/करते हैं ।

मैं/हम वचन देते हैं कि यदि मेरी/हमारी बोली स्वीकृत हो जाती है तो, मैं/हम बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट सुपुर्दगी अनुसूची के अनुसार उपकरणों/उत्पादों को सुपुर्द तथा कमीशन करूंगा/करेंगे ।

यदि मेरी/हमारी बोली स्वीकृत होती है तो, मैं/हम, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में, संविदा के नियत निष्पादन हेतु 39 महीनों की एक अवधि के लिए वैध क्रय आदेश मूल्य के 10 प्रतिशत की समकक्ष धनराशि की बैंक गारंटी जमा कर दूंगा/देंगे ।

मैं/हम, बोली खुलने के लिए निर्धारित तारीख के उपरांत नब्बे दिनों की अवधि के लिए इस बोली के निष्ठा बनाये रखने के लिए सहमत हैं तथा यह हम पर बाध्यकारी रहेगी तथा इस अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय स्वीकृत की जाएगी तथा उस समय तक मैं/हम, वैधता अवधि के समाप्त होने के उपरांत निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट अनुसार, संबद्ध निबंधन एवं शर्तों तथा न्यूनतम नोटिस अवधि के साथ, मेरी/हमारी बोली को औपचारिक रूप से लिखित में वापस ले लूंगा/लेंगे तथा ऐसे सभी मामलों में मेरी/हमारी बोली वैध समझी जाएगी ।

1. मैं/हम घोषणा करते हैं:

2. मैं/हम वित्तीय बोली में उल्लेखित मूल्यों तथा दरों पर उपकरणों, उत्पादनों की आपूर्ति तथा सेवाएं देने का प्रस्ताव करता हूं/करते हैं ।

4. मैंने/हमने बोली दस्तावेज की शर्तों एवं निबंधन तथा बोली दस्तावेज के लिए लागू संविदा शर्तों को ध्यान से पढ़, समझ तथा मान लिया है तथा हम एतद्द्वारा इन निबंधन एवं शर्तों के अनुसार आपूर्ति, कमीशन करने तथा रखरखाव की तीन वर्षीय ऑन-साईट वारंटी उपलब्ध कराने का वचन देते हैं ।

5. प्रमाणित किया जाता है कि बोलीकर्ता:

एक अनन्य स्वामित्व फर्म है तथा बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति एकमात्र मालिक है तथा उसके अनन्य स्वामित्व के लिए अटोर्नी गठित की गई है ।

एक भागीदारी फर्म है, तथा बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति फर्म का पार्टनर है तथा उसे भागीदारी अनुबंध/जनरल पॉवर ऑफ अटोर्नी की हैसियत से भागीदारी के व्यवसाय से संबंधित माध्यस्थम् विवादों को विचारार्थ भेजने का प्राधिकार है ।

एक कंपनी है तथा दस्तावेज पर हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति अटोर्नी को गठित करता है ।

(टिप्पणी: जो लागू न हो उसका लोप कर दें । सभी शोधनों/लोपों को अपरिवर्तनीय रूप से बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित किया जाए) ।

6. हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि जब तक औपचारिक कार्य का आदेश तैयार तथा निष्पादित नहीं होता तब तक, यह बोली, आपके लिखित स्वीकृति तथा नियोजन के आशय पत्र तथा/अथवा प्रदान करने के साथ-साथ हमारे बीच में एक बाध्यकारी संविदा को गठित करेगी ।

आज, दिनांकित............**2009**

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर
नाम
पूरा पता:.........................
दूरभाष सं0........................
टेलिग्राफिक पता..................
फैक्स नं0.........................
ई-मेल
कंपनी की मोहर

संलग्नक-ख

तकनीकी बोली

तकनीकी विनिर्देशनों तथा निविदा विनिर्देशनों एवं निबंधन और शर्तों

के अनुपालन की वचनबद्धता

(बोलीकर्ता के पत्रशीर्ष पर प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर करके प्रस्तुत किया जाए)

मैं/हम, एतदद्वारा वचन देता हूं/देते हैं कि मैंने/हमने प्रस्ताव के लिए अनुरोध/बोली दस्तावेज सं0................दिनांक...........तथा संशोधन/अनुशेष/स्पष्टीकरण इत्यादि को पूर्णत: जांच/अवलोकित, अध्ययन कर लिया है तथा समझ लिया है तथा उक्त दस्तावेजों के किसी मैटेरियल तथा/अथवा अन्य विसामान्यताओं के बिना, अनुपालन में मैने/हमने अपनी बोली को प्रस्तुत कर दिया है ।

मैं/हम एतद्द्वारा वचन देता हूं/देते हैं कि मैंने/हमने अध्याय-2 के कार्य-क्षेत्र को समझ लिया है तथा इस निविदा की मांग केवल निर्देशात्मक है तथा किसी भी प्रकार से सर्वांगीण नहीं है तथा कार्य-क्षेत्र तथा तकनीकी विनिर्देशन को अंतिम रूप से आरईसीएल के विवेक से निर्धारित किया जाएगा ।

मैं/हम एतद्द्वारा वचन देता हूं/देते हैं कि मैंने/हमने आरईसीएल द्वारा अपेक्षित तथा/अथवा मांगे गये मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) के प्राधिकार पत्र को सम्मिलित तथा संलग्न कर दिया है ।

मैं/हम एतद्द्वारा वचन देता हूं/देते हैं कि मैंने/हमने अध्याय-2 **के कार्य-क्षेत्र, निविदा की आवश्यकताओं तथा निबंधन एवं शर्तों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया है तथा इस संबंध में मेरी/हमारी ओर से किसी प्रकार का तथा/अथवा ढंग तथा/अथवा किस्म का कोई विचलन नहीं है ।**

मैं/हम एतद्द्वारा 6 वर्षों की एक अवधि (3 वर्षों की वारंटी अवधि सहित) के लिए अतिरिक्त पुर्जों सहित आपूर्तित सिस्टमों/सब-सिस्टमों के लिए निर्बाधित रूप से तथा समय पर सहायता करने का वचन देता हूं/देते हैं । रखरखाव की वारंटी उपरांत, यदि आरईसीएल विक्रेता के साथ रखरखाव को नियमित रखने का निर्णय लेता है तो विक्रेता को आरईसीएल के लिए अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति को सुनिश्चित करना होगा । किसी कारणवश वस्तु/अतिरिक्त पुर्जे के उपलब्ध न होने की स्थिति में, बोलीकर्ता को आरईसीएल की अनुमति के आधार पर, मूल वस्तु/अतिरिक्त पुर्जे के स्थान पर समकक्ष अथवा नवीनतम वस्तु/अतिरिक्त पुर्जा उपलब्ध कराना होगा ।

मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि आरईसीएल के संपर्क हेतु एकल प्वाइंट रहेगा तथा जो, मूल उपकरण निर्माता द्वारा प्रस्तावित सभी वारंटियों, अद्यतनों, पैचों, अपग्रेडों, गारंटियों इत्यादि तथा रखरखाव की तीन वर्षीय ऑन-साईट व्यापक वारंटी तथा समग्र कार्य-क्षेत्र तथा निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट सेवा स्तरों के अनुसार आवश्यकताओं के लिए, अकेला उत्तरदायी होगा ।

मैं/हम एतद्द्वारा वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम भलीप्रकार से समझता हूं/समझते हैं कि मेरी/हमारी बोली, निविदा दस्तावेज के अनुरूप होनी चाहिए तथा तदनुसार आरईसीएल को प्रस्तुत की जाएगी । अनुपालन न करने तथा/अथवा किसी परिवर्तन होने की स्थिति में आरईसीएल को उपर्युक्त प्रस्ताव हेतु अनुरोध/निविदा/ बोली दस्तावेज के लिए मेरी/हमारी बोली को अयोग्य करने अथवा विचार करने का अनन्य अधिकार है तथा इस संबंध में किसी प्रकार/किस्म/रूप में मेरा/हमारा कोई दावा नहीं होगा ।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि पिछले पांच वर्षों की अवधि के दौरान, किसी सरकार अथवा किसी सरकारी संस्थाओं अथवा सार्वजनिक क्षेाौत्र के उपक्रमों ने हमारी कंपनी को बैन अथवा अयोग्य नहीं किया है ।

मैं/हम एतद्द्वारा निविदा विनिर्देशनों तथा निबंधन एवं शर्तों की स्वीकृति के रूप में तकनीकी बोली सहित विधिवत हस्ताक्षरित तथा मोहर लगे बोली दस्तावेज को संलग्न करता हूं/करते हैं ।

मैं/हम एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं/करते हैं कि हमारा प्रत्युत्तर निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट निर्णीत अवधि सहित पूर्व अवधि के लिए वैध है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

दिनांक

स्थान

कंपनी का नाम
कंपनी की मोहर

<u>संलग्नक - ग</u>

वित्तीय बोली

बोली प्रपत्र

(बोली दस्तावेज प्रस्तुत कर रही फर्म के पत्रशीर्ष पर)

सेवा में,

उप महाप्रबंधक (प्रौद्योगिकी),
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर 4, स्कोप कांपलेक्स,
लोदी रोड़,
नई दिल्ली-110003

संदर्भ: बोली दस्तावेज सं0 दिनांक....................

महोदय,

बोली दस्तावेजों की जांच करने तथा उनके लिए तकनीकी बोली प्रस्तुत करने के उपरांत, मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, मांग अनुसूची के अनुसार तथा उक्त बोली दस्तावेजों के अनुरूप, एतद्द्वारा उपकरणों, उत्पादों की आपूर्ति तथा सेवाओं के लिए वित्ती बोली करता हूं/करते हैं ।

मैं/हम एतद्द्वारा वचन देता हूं/देते हैं कि मेरी/हमारी बोली के स्वीकृत होने की स्थिति में, उपकरणों, उत्पादों तथा अन्य संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति, संस्थापन, कमीशनिंग तथा रखरखाव की तीन-वर्षीय ऑन-साईट व्यापक वारंटी बोली दस्तावेज की अनुसूची में अनुबंधित अनुसार की जाएगी तथा हम सभी आनुषंगिक सेवाओं को निष्पादित करेंगे ।

उद्धृत किए गए मूल्यों में, आपूर्ति, संस्थापन, कमीशनिंग तथा भारत में कहीं भी आरईसीएल हेतु रखरखाव की तीन-वर्षीय ऑन-साईट व्यापक वारंटी खर्चों सहित सभी शुल्क शामिल हैं ।

मैं/हम इसके साथ यथा अपेक्षित पूर्ण वित्तीय बोली को संलग्न कर रहा हूं/रहे हैं । इसमें शामिल हैं:

क. बोली पत्र

ख. मूल्य अनुसूची

मैं/हम, बोली दस्तावेजों के खुलने की निर्धारित तारीख से 90 दिनें की एक अवधि के लिए अपने प्रस्ताव के अनुपालन करने के लिए सहमत हूं/हैं तथा हम, इस अवधि तथा विस्तारित अवधि के अंतर्गत पत्र-व्यवहार स्वीकृति के द्वारा बाध्य रहेंगे तथा मैं/हम 120 दिनों के समाप्त होने के उपरांत मेरी/हमारी बोली को लिखित रूप से वापस नहीं लूंगा/लेंगे ।

मैंने/हमने बोली दस्तावेज की निबंधन एवं शर्तों को ध्यान से पढ़ और समझ लिया है तथा हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि इन निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उपकरणों की आपूर्ति, संस्थापन, कमीशन उपलब्ध करायेंगे । मेरी/हमारी ओर से कोई वित्तीय विचलन नहीं है ।

प्रमाणित किया जाता है कि बोलीकर्ता:

एक अनन्य स्वामित्व फर्म है तथा बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति एकमात्र मालिक है तथा उसके अनन्य स्वामित्व के लिए अटोर्नी गठित की गई है ।

एक भागीदारी फर्म है, तथा बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति फर्म का पार्टनर है तथा उसे भागीदारी अनुबंध/जनरल पॉवर ऑफ अटोर्नी की हैसियत से भागीदारी के व्यवसाय से संबंधित माध्यस्थम् विवादों को विचारार्थ भेजने का प्राधिकार है ।

एक कंपनी है तथा दस्तावेज पर हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति अटोर्नी को गठित करता है ।

(टिप्पणी: जो लागू न हो उसका लोप कर दें । सभी शोधनों/लोपों को अपरिवर्तनीय रूप से बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित किया जाए) ।

मैं/हम एतद्द्वारा वचन देता हूं/देते हैं कि जब तक औपचारिक कार्य का आदेश तैयार तथा निष्पादित नहीं होता तब तक, यह बोली, आपके लिखित स्वीकृति तथा नियोजन के आशय पत्र तथा/अथवा प्रदान करने के साथ-साथ हमारे बीच में एक बाध्यकारी संविदा को गठित करेगी ।

आज, दिनांकित.............2009

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर
नाम
पूरा पता:...........................
दूरभाष सं0.........................
टेलिग्राफिक पता..................
फैक्स नं0..........................
ई-मेल
कंपनी की मोहर

<u>संलग्नक-घ</u>

वित्तीय बोली

<u>सारणी-I</u> **<u>मूल्य अनुसूची</u>**

वस्तु कोड (क)	**वस्तु का विवरण (ख)**	**कर सहित यूनिट मूल्य (ग)**	**प्रारंभिक अनुमानित मात्रा (घ)**	**कर सहित कुल मूल्य (च = ग*PÉ) (च)**
1	**सर्वर**	**अंकों में:** **शब्दों में:**	1	अंकों में: शब्दों में:
2	**लैपटॉप/नोटबुक(उच्च मॉडल)**	**अंकों में:** **शब्दों में:**	1	अंकों में: शब्दों में:
3	**लैपटॉप/नोटबुक(निम्न मॉडल)**	**अंकों में:** **शब्दों में:**	1	अंकों में: शब्दों में:
4	**डेस्कटॉप पी सी**	**अंकों में:** **शब्दों में:**	26	अंकों में: शब्दों में:
5	**बहु प्रकार्य प्रिंटर (एमएफपी)**	**अंकों में:** **शब्दों में:**	2	अंकों में: शब्दों में:
6	**रंगीन लेज़र प्रिंटर**	**अंकों में:** **शब्दों में:**	1	अंकों में: शब्दों में:

7	**लेज़र प्रिंटर**	**अंकों में:** **शब्दों में:**	18	अंकों में: शब्दों में:
8	**स्कैनर**	**अंकों में:** **शब्दों में:**	35	अंकों में: शब्दों में:
9	**यू पी एस**	**अंकों में:** **शब्दों में:**	26	अंकों में: शब्दों में:
10	**ऑन-लाईन यूपीएस**	**अंकों में:** **शब्दों में:**	1	अंकों में: शब्दों में:
11	**बाहरी हार्ड डिस्क (250 जीबी)**	**अंकों में:** **शब्दों में:**	1	अंकों में: शब्दों में:
12	**पेन ड्राइव (8 जीबी)**	**अंकों में:** **शब्दों में:**	1	अंकों में: शब्दों में:
13	**रैम (1 जीबी)**	**अंकों में:** **शब्दों में:**	1	**अंकों में:** **शब्दों में:**
14	**एमएस ऑफिस स्टैंडर्ड 2007 इंडिक (ओएलपी लाइसेंसी) मीडिया एवं प्रलेखीकरण सहित**	**अंकों में:** **शब्दों में:**	1	**अंकों में:** **शब्दों में:**
15	**एमएस ऑफिस स्टैंडर्ड 2007 इंडिक (ओएलपी लाइसेंसी) मीडिया एवं प्रलेखीकरण सहित**	**अंकों में:** **शब्दों में:**	25	**अंकों में:** **शब्दों में:**
समग्र योग				अंकों में: शब्दों में:

दिनांक: प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

स्थान नाम:

कंपनी की मोहर:

टिप्पणी:

1. मूल्यों में, बिक्री कर, वैट, चुंगी तथा रोड़ परमिट सहित सभी कर शामिल हैं । अंतिम गंतव्य पर सामान को सुर्पुद करने की जिम्मेवारी बोलीकर्ता की होगी । आवश्यकता पड़ने पर आरईसीएल सहायता करेगा ।

2. लागतों को अंकों तथा शब्दों में, दोनों में, स्पष्ट रूप से इंगित किया जाए तथा किसी कांट-छांट/विलोपनों/अधिलेखन/लोप/आशोधनों इत्यादि को प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त रूप से साक्ष्यांकित किया जाए अन्यथा बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी ।

3. किसी भी परिस्थितियों में आरईसीएल द्वारा बोलीकर्ता को कोई अतिरिक्त कर, शुल्क अथवा उगाही इत्यादि का भुगतान नहीं करेगा बशर्ते कि ऐसा कर, शुल्क अथवा उगाही को भारत सरकार ने फिलहाल शुरू अथवा अधिसूचित न किया हो ।

4. मूल्यों को केवल भारतीय रूपयों में इंगित किया जाए तथा प्रत्येक पंक्ति में संबंधित यूनिटों में दर्शाया जाए ।

5. मूल्य अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक पंक्ति के समक्ष परिकलनों को प्रत्येक पंक्ति के योग तथा समग्र योग, दोनों, को ध्यानपूर्वक कर्यान्वित किया जाए । किसी गलत-परिकलन इत्यादि की सूचना देना बोलीकर्ता के जोखिम एवं लागत पर होगा तथा बोली संक्षेपतः अस्वीकृत कर दी जाएगी ।

6. शब्दों तथा/अथवा अंकों में उद्धृत मूल्यों के बीच किसी विभेद/विसंगति होने की स्थिति में, दोनों में उच्च मूल्य को विचारा जाएगा ।

7. बोलीकर्ता द्वारा इंगित किए गए मूल्यों में रखरखाव की तीन वर्षीय ऑन-साईट व्यापक वारंटी के साथ सभी खर्चे शामिल होने चाहिए ।

8. सभी वस्तुओं की लागतों को उद्धृत किया जाए अन्यथा बोली को पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

9. उपरोक्त कॉलम सं0 'ख' हेतु ब्यौरा अध्याय-2 में उपलब्ध कराया गया है: किसी प्रपत्र/सोर्ट/प्रकार इत्यादि के किसी विचलन के बिना तथा निविदा की शर्तों एवं निबंधन क अनुसार तथा बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट इन ब्यौरों तथा अन्य खंडों पर विचार करते हुए कार्य-क्षेत्र तथा तकनीकी बोली के विनिर्देशन संलग्नक-च तथा मूल्यों को बोलीकर्ता द्वारा उद्धृत समझा जाएगा ।

10. कार्य-क्षेत्र के ब्यौरे तथा सारणी-।। के अनुसार वैकल्पिक वस्तु की लागतों को उद्धृत किया जाए अन्यथा बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

11. यूनिट मूल्य, लागू करों (जैसा लागू हो), इंगित की गयी प्रारंभिक मात्रा पर आधारित वारंटी उपरांत एएमसी लागत (जैसा लागू हो) के लिए बोलीकर्ता द्वारा उद्धृत मूल्यों/लागत के आधार पर आरईसीएल मूल्यों, योग (प्रत्येक वस्तु के अनुसार) तथा समग्र योग का पुनर्परिकलन/सत्यापन करेगा तथा आरईसीएल द्वारा किया गया अंतिम परिकलन बोलीकर्ता पर बाध्य होगा ।

12. उपरोक्त पैरा 7 के अनुपालन में उपकरण/उत्पादद के प्रभावी तथा कुशल निष्पादन के लिए बोलीकर्ता द्वारा किसी अंश/उप-अंगभूत/सॉफ्टवेयर/पेरीफेरलों इत्यादि को उद्धृत न किए/शामिल न किए जाने की स्थिति में तथा/अथवा मूल्य अनुसूची में किसी सूचना/उद्धृत मूल्य को

छिपाना/गलत बताना/धोखेबाजी करना बोलीकर्ता के जोखिम व लागत पर होगा तथा अनुपालन न होने की स्थिति में बोली को संक्षेपत: अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा उपयुक्त निविदा खंडों का प्रतिसंहरण किया जाएगा तथा बोलीकर्ता को आरईसीएल के विवेकानुसार काली सूची में डाल दिया जाएगा तथा ऐसी स्थिति में आरईसीएल को निविदा की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार शेष बोलियों का वित्तीय मूल्यांकन करने का अधिकार सुरक्षित है ।

13. बोलीकर्ता यह नोट कर लें तथा समझ ले कि, जैसा कि निविदा में निर्दिष्ट किया गया है, आरईसी 'फार्म सी/डी' उपलब्ध नहीं कराएगा ।

14. बोलीकर्ता यह नोट कर लें तथा समझ लें कि आरईसीएल को अपने विवेकानुसार वैकल्पिक तथा/अथवा विभिन्न स्रोतों से वस्तुओं के सुपर-सेट/सब-सेट के लिए क्रयादेश देने तथा/अथवा उनकों तथा/अथवा समान वस्तुओं को प्रापण करने का अधिकार है ।

<u>संलग्नक-च</u>

तकनीकी बोली

तकनीकी बोली - विनिर्देशन

I)<u>डेस्कटॉप कंप्यूटर</u>

मेक/मॉडल का ब्यौरा दें..

क्रमांक	विनिर्देशन	विवरण	मेक/मॉडल	पार्ट सं**0**	अनुपालित (हाँ/नहीं**)**
	मॉडल				
1	**प्रोसेसर**	**इंटेल कोर 2 डूओ ई7400 प्रोसेसर (2.8जीएचजैड, 3एमबी एल2 कैश 106 एमएचजैड एफएसबी) अथवा उससे ऊपर**			
2	**चिपसेट**	**इंटेल क्यू43 एक्सप्रेस चिपसेट अथवा उससे उच्च**			
3	**मदरबोर्ड**	**मूल इंटेल अथवा समकक्ष अथवा मूल उपकरण निर्माता का मदरबोर्ड**			
4	**मेमोरी**	**2जीबी,800 एमएचजैड,न्यूनतम 4 डीआईएमएम**			

		स्लोट वाली अथवा उससे उच्च डीडीआर2 रैम			
5	हार्ड ड्राइव	160जीबी एसएटीए (7200 आरपीएम) एसएटीए ।।(8एमबी कैश, 7200 आरपीएम) 3.0-जीबीपीएस हार्ड ड्राइव अथवा उच्च			
6	एफडीडी	1.44एमबी			
7	मॉनीटर	न्यूनतम 19 इंच चौड़ा टीएफटी अथवा उस्से उच्च (सीपीयू अनुसार उसी बनावट/ब्रांड का)			
8	की-बोर्ड	यूएसबी 104 कुंजीपटल वाला(द्विभाषी रेमिंगटन) ओईएम मेकेनिकल की-बोर्ड - केबीनेट के रंग से मिलता जुलता गैर-ओईएम मूल हिंदी मेकेनिकल की-बोर्ड भी स्वीकार्य है ।			
9	माऊस	2 बटन वाला ऑपटिकल यूएसबी स्क्रोल माऊस (सिस्टमानुसार ओईएम मेक/ब्रांड)			
10	ग्राफिक्स	एनवीआईडीआईए/एटीआई ग्राफिक्स कार्ड 256 एमबी अथवा उससे उच्च रैम के साथ			
11	ऑपटिकल ड्राइव	इंटरनल एसएटीए 8x डीवीडी राइटर, डुअल लेयर क्षमता वाला			
12	बेयस्	न्यूनतम: 2 बाहरी 1 आंतरिक			
13	ऑडियो	ऑडियो कनेक्टर सहित आंतरिक स्पीकर			
14	नेटवर्किंग	इंटल जीगाबाइट एथर्नेट कंट्रोलर (10/100/1000)			
15	पोर्टस्	न्यूनतम 8यूएसबी 2.0 पोर्टस् (आगे न्यूनतम 2), 1 सीरियल पोर्ट			
16	विद्युत आपूर्ति	न्यूनतम 230 अथवा अधिक वॉट (सर्ज संरक्षित) स्क्रीन ब्लैंकिंग, विद्युत चालू करने के उपरांत पासवर्ड व्यवस्था पर हार्ड डिस्क तथा सिस्टम आइडल मोड			
17	सुरक्षा	पावर ऑन पासवर्ड, सेटअप पासवर्ड, बाहरी लॉक सुविधा के साथ चेसिस का लॉक करना			
18	प्रमाणीकरण	विंडोस, लाइनक्स			
19	ओ एस	सॉफ्टवेयर आश्वासन के साथ पहले से लोड किया विंडोस विस्टा बिज़नेस			
20	एंटी-वायरस	एक-वर्षीय अनुज्ञापित एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर			
21	रिकवरी टूल	ओएस तथा डेटा के पुन थापन एवं अनुसूचित	ओएस		

		बैक-अप के लिए व्यवस्थित किया गया प्री-लोडेड सॉफ्टवेयर टूल	तथा डेटा के पुन		
22	डायग्नोस्टिक टूल	हार्डवेयर डायग्नोस्टों के लिए मूल उपकरण निर्माता का डायग्नोस्टिक टूल			
23	वारंटी	3 वर्षीय ऑन-साईट व्यापक वारंटी			

दिनांक:

स्थान:

हस्ताक्षर

नाम:

पद:

कंपनी का नाम:

कंपनी की मोहर:

।।)<u>लैपटॉप(उच्च मॉडल)</u>

मेक/मॉडल का ब्यौरा दें...

क्रमांक	विनिर्देशन	विवरण	मेक/मॉडल	पार्ट सं0	अनुपालित (हाँ/नहीं)
1	प्रोसेसर	इंटेल सेंट्रिनों डूओ प्रोसेसर तकनीक इंटेल कोर 2डूओ प्रोसेसर पी8600 अथवा उससे ऊपर			
2	चिपसेट	इंटेल 45 एक्सप्रेस चिपसेट अथवा उससे उच्च			
3	हार्ड डिस्क	160जीबी रैम एचडीडी 7200 आरपीएम अथवा उससे ऊपर फ्री फॉल सेंसर सहित			
4	मेमोरी	2जीबी रैम डीडीआर2 800 एमएचजैड, 4जीबी तक बढ़ाने योग्य			
5	डिसप्ले	13.3 इंच /14.1 इंच /15.4 इंच डब्ल्यूएक्सजीए			
6	विडियो मेमोरी	इंटेल जीएमए 4500 एमएचडी			
7	की-बोर्ड/माऊस	डुअल प्वाइंट टच पैड वाला की-बोर्ड			
8	ऑपटिकल ड्राइव	8xbÉ´ÉÉbÉ+/- आर डब्ल्यू अथवा उससे उच्च			
9	आडियो	माइक्रोफोन सपोर्ट सहित स्टीरियो स्पीकर			

		हैडफोन में निर्मित			
10	पोर्ट/कनेक्टर्स	पीबीएमआईए कार्ड स्लोट-1 टाईप I/II, वीजीए, आरजे11, आरजे45, यूएसबी-की संख्या 4 अथवा अधिक, Iईईई 1394			
11	मॉडम/ एनआईसी	56 के मॉडम तथा एकीकृत 10/100/1000 एनआईसी			
12	वायरलेस एलएएन	एकीकृत वायरलेस एलएएन -वाईफाई - 802.11 ए/जी/एन			
13	ब्लूटूथ	एकीकृत ब्लूटूथ 2.1			
14	ऑपरेटिंग सिस्टम	सॉफ्टवेयर आश्वासन सहित विंडोस विस्टा बिज़नेस तथा मीडिया एवं न्यूनतम 1 वर्ष के लाइसेंस तथा सहित मीडिया सहित प्रीलोडेड नॉरटन/मेकेफी/ ट्रेंड-माइक्रो एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर			
15	बैट्री एवं एडैप्टर	6 सेल लिथियमियन बैट्री तथा एसी एडैप्टर			
16	बैट्री सहित भार	2.6 किग्रा तक			
17	वारंटी	ओईएम सहित 3 वर्षीय ऑन-साईट व्यापक			
18	प्रबन्ध्यता विशेषता	हार्डवेयर संरूपण हेतु मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सिस्टम हैल्थ, तथा रिमोर्ट समर्थित मैनेजमेंट			
19	कैरी केस	कैरी केस			

दिनांक:

स्थान:

हस्ताक्षर

नाम:

पद:

कंपनी का नाम:

कंपनी की मोहर:

III)<u>लैपटॉप(निम्न मॉडल)</u>

मेक/मॉडल का ब्यौरा दें...

क्रमांक	विनिर्देशन	विवरण	मेक/मॉडल	पार्ट सं0	अनुपालित (हाँ/नहीं)
1	**प्रोसेसर**	**इंटेल सेलरोन प्रोसेसर 530एम (1.73 जीएचजैड अथवा अधिक, 1एमबी एल2 कैश, 533एमएचजैड एफएसबी) इंटेल 965 चिपसेट सहित**			
2	**ऑपरेटिंग सिस्टम**	सॉफ्टवेयर आश्वासन एवं मीडिया सहित असली विंडोस विस्टा होम बेसिक्स			
3	**मेमोरी**	**1जीबी (4जीबी तक बढ़ाने योग्य) डूअल चैनल 667एमएचजैड डीडीआर2 एसडीआरएएम**			
4	**एलसीडी डिसप्ले**	**14.1 इंच /15.4 इंच चौड़ी स्क्रीन डब्ल्यूएक्सजीए**			
5	**हार्ड ड्राइव**	**160 जीबी एसएटीए हार्ड ड्राइव अथवा अधिक**			
6	**ऑपटिकल ड्राइव**	**8xडीवीडी/सीडी- आर डब्ल्यू कोम्बो**			
7	**बैट्री**	**6 सेल लिथियमियन बैट्री 3.5 घंटे अथवा**			

		अधिक के बैट्री बैकअप सहित			
8	पोर्ट, स्लोट, चेसिस	बाह्य प्रभाव्य:			
		4 यूएसबी 2.0 पोर्ट			
		15-पिन वीजीए विडियो कनेक्टर			
		नेटवर्क कनेक्टर (आरजे45) सहित जीगाबाइट एथर्नेट, वाईफाई तथा ब्लूटूथ			
		56 के मॉडम, कनेक्टर (आरजे11) के साथ			
		एसी एडैप्टर कनेक्टर			
		माइक्रोफोन इन तथा हैडफोन जैक			
		वीजीए			
		8-इन-1 मीडिया मेमोरी कार्ड रीडर			
9	वज़न	2.75 किग्रा तक			
10	कैरी केस	कैरी केस			
11	अतिरिक्त सॉफ्टवेयर	एक वर्षीय लाइसेंसबद्ध एंटी-वायरस सॉफ्टवयेर			
12	वारंटी	एक वर्ष की भारत में ऑन-साईट व्यापक वारंटी			

दिनांक: **हस्ताक्षर**

स्थान: **नाम:**

पद:

कंपनी का नाम:

कंपनी की मोहर:

IV)<u>एमएफपी (प्रिंट/स्कैन/कोपी/फैक्स)</u>

मेक/मॉडल का ब्यौरा दें...

क्रमांक	वस्तु	विवरण	मेक/मॉडल	पार्ट सं0	अनुपालित (हाँ/नहीं)
1	प्रकार्य	काला-श्वेत मुद्रण, काली-श्वेत कोपी करना, काला-श्वेत फैक्स करना तथा काला-श्वेत एवं रंगीन स्कैन करना			
2	प्रिंट सिस्टम/ मेमोरी/नेटवर्क				
क	मुद्रण गति (काला, ए4)	22 पीपीएम अथवा अधिक			
ख	प्रथम पृष्ठ बाहर(काला, ए4)	10 सेकेंड			
ग	प्रोसेसर गति	150 एमएचजैड अथवा अधिक			
घ	मुद्रण गुण (काला, सामान्य गुण)	1200x1200 डीपीआई तक			
च	प्रति माह पृष्ठ	7000 तक			
छ	रैम/मेमोरी	64 एमबी			
ज	नेटवर्क	10/100 एथर्नेट कनेक्शन में निर्मित			
3	कोपी सिस्टम				
क	कोपी की गति	22 सीपीएम अथवा अधिक			

ख	कोपी रेस्योलूशन	600x600 डीपीआई तक			
4	स्कैन सिस्टम				
क	स्कैन का प्रकार	फ्लैटबेड, एडीएफ			
ख	संवर्धित स्कैनिंग रेस्योलूशन	4800x4800 डीपीआई			
5	फैक्स सिस्टम				
क	फैक्स की गति	33.6 केबीपीएस			
ख	फैक्स मेमोरी	2 एमबी			

दिनांक: हस्ताक्षर

स्थान: नाम:

पद:

कंपनी का नाम:

कंपनी की मोहर:

V)<u>लेज़र प्रिंटर</u>

मेक/मॉडल का ब्यौरा दें..

क्रमांक	वस्तु	विवरण	मेक/मॉडल	पार्ट सं0	अनुपालित (हाँ/नहीं)
	मॉडल				
1	मुद्रण तकनीक	मोनोक्रोम लेज़र			
2	मुद्रण गति (काला, ए4)	14 पीपीएम अथवा अधिक			
3	प्रोसेसर गति	150 एमएचजैड अथवा अधिक			
4	मुद्रण गुणता (काला, श्रेष्ठ गुणता)	600x600 डीपीआई			
5	प्रति माह पृष्ठ	5000 तक			
6	रैम/मेमोरी	8 एमबी			
7	कनेक्टीविटी	यूएसबी 2.0			
8	प्रथम पृष्ठ बाहर (काला, ए4)	< 10 सेकेंड			
9	वारंटी	नई दिल्ली में ऑन-साईट व्यापक वारंटी सहित भारत में कहीं भी ले जाने की एक वर्ष की वारंटी			

दिनांक: **हस्ताक्षर**

स्थान: **नाम:**

पद:

कंपनी का नाम:

कंपनी की मोहर:

VI)<u>रंगीन लेज़र प्रिंटर</u>

मेक/मॉडल का ब्यौरा दें..

क्रमांक	वस्तु	विवरण	मेक/मॉडल	पार्ट सं0	अनुपालित (हाँ/नहीं)
	मॉडल				
1	मुद्रण तकनीक	इनलाईन रंगीन लेज़र मुद्रण तकनीक			
2	मुद्रण गति (काला, ए4)	4 पीपीएम अथवा अधिक			
3	मुद्रण गति (काला, ए4)	12पीपीएम अथवा अधिक			
3	प्रोसेसर गति	150 एमएचजैड अथवा अधिक			
4	मुद्रण गुणता (काला, श्रेष्ठ गुणता)	600x600 डीपीआई तक			
5	प्रति माह पृष्ठ	5000 तक			
6	रैम/मेमोरी	16 एमबी			
7	कनेक्टीविटी	उच्च गति यूएसबी			
8	प्रथम पृष्ठ बाहर (काला, ए4)	< 30 सेकेंड			
9	वारंटी	नई दिल्ली में ऑन-साईट व्यापक वारंटी सहित भारत में कहीं भी ले जाने की एक वर्ष की वारंटी			

दिनांक: **हस्ताक्षर**

स्थान: **नाम:**

पदः
कंपनी का नामः

कंपनी की मोहरः

VII) स्कैनर

मेक/मॉडल का ब्यौरा दें..

क्रमांक	वस्तु	विवरण	मेक/मॉडल	पार्ट सं0	अनुपालित (हाँ/नहीं)
	मॉडल				
1	ऑपटीकल स्कैनिंग रेसोल्यूशन	1200 डीपीआई तक			
2	हार्डवेयर स्कैनिंग रेसोल्यूशन	1200x1200 डीपीआई तक			
3	संवर्धित स्कैनिंग रेसोल्यूशन	असीमित			
4	बिट डेप्थ	48 बिट			
5	ग्रे स्केल लेवल	256			
6	इमेज स्केलिंग	1% इंक्रीमेंट में 10 से 24000%			
7	प्रीवियू मोड में स्कैन गति	< 10 सेकेंड			
8	स्कैन गति (ओसीआर, ए4)	< 47 सेकेंड			
9	अधिकतम स्कैनिंग आकार	21.6 x 29.7 से.मी.			
10	बटन प्रकार्य	2 प्रंट-पैनल बटन (स्कैन, कोपी)			
11	वजन	< 2.5 किग्रा			
12	बाह्य आई/ओ पोर्ट	1 यूएसबी 2.0			
13	वारंटी	नई दिल्ली में ऑन-साईट व्यापक वारंटी सहित भारत में कहीं भी ले जाने की एक वर्ष की वारंटी			

दिनांकः

हस्ताक्षर

स्थान:

नाम:

पद:

कंपनी का नाम:

कंपनी की मोहर:

VIII)सर्वर

मेक/मॉडल का ब्यौरा दें...

क्रमांक	विनिर्देशन	विवरण	मेक/मॉडल	पार्ट सं0	अनुपालित (हाँ/नहीं)
	मॉडल				
1	प्रोसेसर	इंटेल एक्सीओन 5405 क्वॉड कोर 2 जीएचजैड अथवा 12 एमबी कैश के साथ उचित			
2	प्रोसेसर संख्या	एकल प्रोसेसर के साथ उद्धृत करें, 2नंबर प्रोसेसर के आरोहय			
3	मदरबोर्ड	इंटेल 5000 श्रृंखला 1333 एमएचजैड एफएसबी सहित			
4	मेमोरी	2 जीबी डीडीआर2			
5	स्लोट	कुछ छह: चार पीसीआई एक्सप्रेस स्लोट(3x4 लेन तथा 1x8 लेन); दो पीसीआई-एक्स स्लेट (64-बिट/133 एमएचजैड)			
6	हार्ड ड्राइव	3 x 146 जीबी 15000 आरपीएम एसएएस			
7	आरएआईडी कंट्रोलर	3जी एसएएस कंट्रोलर 256एमबी कैश सहित			
8	मॉनीटर	17इंच टीएफटी			
9	की-बोर्ड	101 कुंजी वाला			
10	माऊस	ऑपटिकल स्क्रोल माऊस			
11	केबीनेट	टॉवर			
12	ऑपटिकल	8x अथवा अच्छा डीवीडा रोम			

	ड्राइव				
13	टेप ड्राइव	36/72 जीबी डीएटी			
14	नेटवर्किंग	डूअल लैन (10/100/1000)			
15	बेयस्	10 नं0 अथवा अधिक हॉट प्लेगेबस बेयस्			
16	पोर्ट	4 यूएसबी, 1 श्रृंखला			
17	विद्‌युत प्रबंधन	स्क्रीन ब्लैंकिंग,विद्‌युत चालू होने पर हार्ड डिस्क तथा सिस्टम आडल मोड, पासवर्ड व्यवस्था,विद्‌युतापूर्ति सर्ज संरक्षण			
18	प्रमाणीकरण	विंडोस, रेड हैट			
19	ओ एस	एसी एडैप्टर कनेक्टर			
20	अतिरिक्त सॉफ्टवेयर	1 वर्ष का लाइसेंसयुक्त एंटी-वायरस			
21	वारंटी	3 वर्षीय व्यापक			

दिनांक: **हस्ताक्षर**

स्थान: **नाम:**

पद:

कंपनी का नाम:

कंपनी की मोहर:

IX) <u>यूपीएस</u>

मेक/मॉडल का ब्यौरा दें...

क्रमांक	विशेषताएं	अपेक्षित न्यूनतम विनिर्देशन	मेक/मॉडल	पार्ट सं0 (यदि कोई हो)	अनुपालित (हाँ/नहीं)
1	डिजाइन	लाईन अंत: क्रिया			
2	क्षमता	650 ´ÉÒB			
3	इनपुट				
क	वोल्टेज	135-300 वी एसी			
ख	आवृत्ति	50एचजैड ± 5%			
4	आऊटपुट				
क	वोल्टेज	230 वोल्ट ± 9% एसी			
ख	मुख्य स्विच पर रेगुलेटर	स्वचालित वोल्टेज नियंत्रण			
ग	ट्रंसफर टाईम	<6 मिनट			
घ	बैट्री पर रेगुलेटर	मोडयूलेशन सहित पल्स			
5	सुरक्षा				
क	शार्ट सर्किट लाईन	फ्यूज़ सुरक्षा			
ख	शार्ट सर्किट इनवर्टर	पल्स दर पल्स सक्रिय सुरक्षा			
6	बैट्री				

क	**किस्म**	सील्ड मेंटेनेंस फ्री लीड-एसिड बैट्री, लीक प्रूफ			
ख	**सुरक्षा**	स्व-सुरक्षा, इंटेलीजेंट चार्ज, अधिचार्ज, गहन डिस्चार्ज, बैट्री लो व शटडाऊन			
ग	**अनुमानित बैकअप टाईम**	**30 मिनट**			
7	**वजन**	**<8 किग्रा**			
8	**ऑपरेटिंग तापमान**	**0 डिग्री से0 - 48 डिग्री सेल्सियस**			
9	**ऑपरेटिंग आर्द्रता**	**0 से 90 प्रतिशत नॉन-कंडेंसिंग**			
10	**श्रव्य शोर स्तर**	**यूपीएस से 1 मीटर की दूरी पर < 35डीबी**			
11	**वारंटी**	**3 वर्षीय ऑन-साईट व्यापक वारंटी**			

X) <u>अतिरिक्त सॉफ्टवेयर</u>

मेक/मॉडल का ब्यौरा दें..

क्रमांक	वस्तु	विवरण	मेक/मॉडल	पार्ट सं0 (यदि कोई हो)	अनुपालित (हाँ/नहीं)
1	**एमएस ऑफिस स्टैंडर्ड 2007 इंडिक(ओएलपी लाइसेंसी)**	मीडिया एवं प्रलेखीकरण सहित			
2		मीडिया एवं प्रलेखीकरण के बिना			

दिनांक: **हस्ताक्षर**

स्थान: **नाम:**

पद:

कंपनी का नाम:

कंपनी की मोहर:

संलग्नक-छ

जमा बयाना राशि के लिए बैंक गारंटी

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
कोर-4, स्कोप कांपलेक्स
7, लोदी रोड़,
नई दिल्ली

महोदय,

रूरल इलेवट्रीफिकेशन कोरपोरेशन लिमिटेड, कोर-4, स्कोप कांपलेक्स, 7-लोदी रोड़, नई दिल्ली (इसमें इसके बाद 'मालिक' कहा गया है जिसकी अभिव्यक्ति में, जब तक विषय अथवा संदर्भ के विरूद्ध न हो, उसके उत्तराधिकारी तथा उसके द्वारा नियुक्त शामिल हैं) जारी विनिर्देशन सं0..........................ि दनांक ....के तहत निविदा आमंत्रण नोटिस तथा मैसर्स.................................... जिसका पंजीकृत कार्यालय..में है, (यहां इसके बाद 'निविदाकार' कहा गया है) जो .... के लिए उक्त निविदा में भाग लेने का इच्छुक है तथा उक्त निविदा में भागीदारी के लिए पूर्ववर्ती शर्त के रूप में निविदाकार द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित जमा नकद की एवज में निविदाकार की ओर से .... तक वैध रूपये.....................(रूपये..)की धनराशि के लिए अप्रतिसंहरणीय तथा अशर्त बैंक बोली गारंटी देने के लिए सहमत है, को ध्यान में रखते हुए,

हम, ...बैंक...............................स्थान, नई दिल्ली, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम **1970** के तहत गठित एक निगमित निकाय है जिसका प्रधान कार्यालय.............. में है, एतद्द्वारा बिना शर्त के तथा अप्रतिसंहरणीय गारंटी देते हैं तथा मांगने पर 'मालिक' को तुंत, रूपये ....(रूपये...) की उक्त धनराशि की सीमा तक अदा करने का वचन देते हैं । उपर्युक्त 'मालिक' द्वारा हम पर किया गया ऐसा कोई दावा/मांग हम पर, निविदाकार द्वारा उत्पन्न किए गए किसी विवाद अथवा विभेदों पर ध्यान दिए बिना, अंतिम हेंगे तथा हम पर बाध्यकारी होंगे ।

यह गारंटी अप्रतिसंहरणीय होगी तथा......................तक वैध रहेगी, यदि इस गारंटी की अवधि को आगे बढ़ाना अपेक्षित है, तो उसे...............................से, जिसकी ओर से यह गारंटी जारी की गई है, हिदायते प्राप्त होने पर ऐसी अपेक्षित अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

उपर्युक्त के होते हुए भी, इस गारंटी के तहत हमारा दायित्व रूपये .... (रूपये...)के लिए प्रतिबंधित करना होगा तथा हमारी गारंटी.........................तक प्रवृत्त होगी तथा बशर्ते कि .... को अथवा उससे पूर्व हमें लिखित में इस गारंटी के तहत कोई मांग अथवा दावा न करे कि गारंटी के तहत आपके अधिकार जब्त किए जाएं तथा तदाधीन हम सभी उत्तरदायित्वों से भार-मुक्त तथा कार्य-मुक्त हो जाएंगे ।

हम, उक्त बैंक अंतत: वचन देते हैं कि, लिखित में मालिक की पिछली सहमति को छोड़कर इसके प्रचलन के दौरान इस गारंटी का प्रतिसंहरण नहीं करेंगे तथा सहमति देते हैं कि उक्त बैंक में उक्त निविदाकार द्वारा विधान में किसी परिवर्तन पर एतद्वीन अपने उत्तरदायित्व का निवर्हन नहीं करेंगे ।

आज, दिनांक**...............2009.**....................स्थान पर गवाह की उपस्थिति में बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मोहर लगाकर हस्ताक्षर किया गया ।

साक्षी

(नाम तथा कार्यालय पता सहित)

हस्ताक्षर

नाम

(बैंक की मोहर सहित पदनाम)

पावर आफ अटार्नी सं.